संघर्ष संवाद

मार्च 2014 नई दिल्ली

देश के हुक्मरान और उनकी पुलिस आज किसान की जमीन हड़पती, नदियों का पानी छीनती, जंगलों को बर्बाद करती उस प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसके वहशीपन को छिपाने के लिए उसे विकास जैसा नाम दिया गया हैं. 90 के दशक में उछला आर्थिक सुधार का नारा आज एक ऐसा दुश्स्वप्न बन गया है जिसके नीचे हमारे किसान–आदिवासी– मजदूर–दलित और गरीबों के कंधे चरमरा रहे हैं. अखबारी खबरों की सतह के नीचे ऐसी बहुत सारी उथल–पुथल जारी है, जिसका हम सबसे वास्ता है.

इस साल की शुरुआत से ही अब हर खबर को 2014 के चुनावों से जोडकर देखा जा रहा है. लेकिन इस बार के बजट में और विभिन्न जनांदोलनों को लेकर सरकारों और रा. जनितिक पार्टियों के रुख पर ध्यान दे तो यह साफ हो जाता है कि इस जमात ने अब चुनावी दबाव में भी आम लोगों की चिंता करना छोड़ दिया है.

इस लोकसभा चुनावों में मेधा पाटकर, सोनी सोरी, दयामनी बारला, कुमार चंद मार्डी, सत्या महार, लिंगराज प्रधान, लिंगराज आजाद, वीरेन्द्र विद्रोही, आलोक अग्रवाल, कैलाश अवास्या और एस पी उदयकुमार उम्दमीदवार है. देश की सार्वजनिक संपदा की हिफाजत के लिए इन कार्यकर्ताओं ने जान की कभी, परवाह भी नहीं की जिसे दिन–रात कॉर्पोरेट और राजनैतिक दबंग मिल कर लूटते रहे हैं. लाठी, जेल और फर्जी मुकदमों के जरिए देश की इन आवाजों को ख़ामोश करने की हरसंभव कोशिशें हुईं. एक–एक लड़ाका संघर्ष और जनसेवा की मिसाल हैं. सब जीतें ताकि लोकसभा की सूरत बदले.

इधर लगातार आम लोगों के व्यापक विरोध के बावजूद देश के प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में परमाणु विनाश की आधारशिला रखी. वहीं चुटका एवं जमशेदपुर में लाठी एवं बंदूक के साये में जनसुनवाई की नौटंकी पूरी की गई जबकि नवलगढ़ के किसानों का भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन 1310 दिनों से जारी है. आज हम तमिलनाडु के कूडनकुलम से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों तक हर जगह सरकारों का क्रूर रवैया देख रहे है.

इस बीच बरगी बांध से विस्थापित आदिवासियों का एक जत्था चुटका से दिल्ली उस रास्ते पहुँचा जिससे होकर विकास का क्रूर सपना परमाणु ऊर्जा के मंसूबे बाँध रहा है. इन जरुरी दस्तकों और पहलकदिमयों और हमारी चुनौतियों को साझा करने हेतु प्रस्तुत है इस बार का संघर्ष संवाद.

दिल्ली
- किसान विरोधी सिफारिशों के खिलाफ संसद मार्च और धरना
- पोस्को के विरोध में दिल्ली से भुवनेश्वर तक प्रतिरोध
- इंसाफ और हिफाजत के लिए आईपीएफ के संयोजक अखिलेन्द्र का उपवास व धरना

हिमाचल प्रदेश
- आखिर दिल्ली की प्यास कब बुझेगी ?

हरियाणा
- मारुति सुजुकी वर्कर्स की कैथल से दिल्ली यात्रा
- यह आधारशिला विनाश को न्यौता है !

गुजरात
- हंसापुर : चरागाह और कृषि भूमि को मारुति सुजुकी कंपनी को आवंटित किए जाने के विरोध में धरना

ओडिशा
- अस्तरंग बंदरगाह विरोधी आंदोलन की आवाज बुलंद
- पोस्को और राज्य सत्ता को कड़ी टक्कर देते ग्रामीण

उत्तर प्रदेश
- 2011 का पुलिस दमन नहीं भूलेंगे करछना के लोग
- आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे खिलाफ जनसंगठनों की लामबंदी तेज
- आखिर किसानों के दर्द को कौन समझेगा ?

मध्य प्रदेश
- मुलताई में शहीद किसान समृति सम्मेलन का आयोजन
- 16वें शहीद किसान स्मृति सम्मेलन में मुलताई घोषणा–पत्र 2014 जारी
- महानवासियों ने शुरु किया वन सत्याग्रह
- महान संघर्ष समिति का ऐलान : एस्सार महान छोड़ो !
- लाठी एवं बंदूक के साये में जनसुनवाई की नौटंकी
- चुटका के आदिवासियों का भोपाल– दिल्ली में परमाणु प्लांट के खिलाफ धरना

झारखंड़
- नेतरहाट फायरिंग रेंज के खिलाफ सुलगती आदिवासी जनचेतना
- झारखण्ड में विरोध के बावजूद जिंदल के स्टील प्लांट को हरी झंडी, आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज

दिल्ली

किसान विरोधी सिफारिशों के खिलाफ संसद मार्च और धरना

31 जनवरी 2014 को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का संसद मार्च और धरना आयोजित किया गया. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह (डब्ल्यू.जी.ई.ई.पी.) ने देश के पश्चिमी घाट के 6 राज्यों के 4156 गांवों को पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील मानकर यहाँ पर जमीन पर विशेष प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की है. यहाँ पर लोग जमीन पर निर्माण और विकास की गतिविधियों जैसे अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय यहां तक कि पालतू पशुओं के बाड़ भी नहीं बना पायेगे। सरकारी जमीन से व्यक्तिगत जमीन में परिवर्तन पर प्रतिबन्ध, जमीन पर खेती करने वाले किसानों यहां तक कि आदिवासियों को जमीनों के पट्टे प्राप्ति पर रोक लगा देगा। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले 6 प्रभावित राज्यों के हजारों किसानों ने इन प्रावधानों के विरोध में प्रदर्शन किया है. पेश है

अखिल भारतीय किसान सभा का पर्चा

पश्चिमी घाटों के बारे में वहां की जनता की जायज चिंताओं पर बिना उचित ढंग से विचार किये संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन 2 की सरकार का पश्चिमी घाटों के बारे में उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह (एच.एल.डब्ल्यू.डी.) की सिफारिशों को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करने का फैसला करना और इन 6 राज्यों के 4156 गांवों को पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील मानकर अधिसूचित करने के कदम की पश्चिमी घाटों के क्षेत्रों की जनता में काफी आलोचना हुई है एवं विरोध प्रदर्शन हुए हैं। किसान एवं आम जनता क्षेत्र में बुनियादी विकास के कार्यों और जनता की जीविका के बारे में रोक से व्याकुल हैं। अनेकों आन्दोलनों एवं विरोध कार्रवाईयों में हजारों लोग भाग ले रहे हैं। सभी राजनीतिक दल, सामाजिक और जन आन्दोलन इन विशाल विरोध संघर्षों का समर्थन कर रहे हैं।

जैव–विविधता के क्षेत्र में पश्चिमी घाट पूरी दुनिया के आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हैं। क्षेत्र में जैव–विविधता एवं पर्यावरण के प्राकृतिक संरक्षण के महत्व पर कोई सन्देह या विवाद नहीं है लेकिन ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक श्री माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पा. रिस्थितिकी–विभाग विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों की जीविका की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने में असफल रही है। वास्तव में यह रिपोर्ट इस सच्चाई की उपेक्षा करती है कि इस क्षेत्र के लोग सबसे अधिक प्रभावशाली पर्यावरण के संरक्षक रहे हैं और वहीं साथ रहकर सक्रियता पूर्वक वन्य जीवन एवं क्षेत्र की जैव–विविधता की रक्षा की है। एच. एल.डबल्यू.जी. रिपोर्ट लोगों की उचित चिन्ताओं का समाधान करने में असफल रही है और उसने केवल डब्ल्यू. जी.ई.ई.पी. की सिफारिशों को कमजोर किया है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालयी मेमोरेण्डम (ज्ञापन पत्र) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विशेष प्रतिबन्धित जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ई.एस.ए. इस्तेमाल किया जायेगा। डब्ल्यू.जी.ई.ई.पी. की गाइड लाइन (खण्ड–1, पृष्ठ संख्या 41,42) कहती है कि जंगलात से सामान्य उपयोग, कृषि से सामान्य, कृषि जमीन को जंगल की जमीन में बदलने को छोड़कर (पेड़ों की फसल के लिए) जमीन के उपयोग को बदलने की अनुमति नहीं है सिर्फ इस अपवाद को छोड़कर जब स्थानीय लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए मौजूद गांव के क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत हो। यह हमेशा के लिए सभी तरह के निर्माण और विकास की गतिविधियों जैसे अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय यहां तक कि पालतुपशुओं के बाड़ बनाने पर भी रोक लगाता है। एच.एल.डबल्यू.जी. इस धारा में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया है। स्थानीय लोगों में इस अवैज्ञानिक सिफारिश से भारी बेचैनी पैदा हुई हैं इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

रासायनिक उर्वरकों के पूरी तरह प्रतिबन्ध के साथ, सरकारी जमीन से व्यक्तिगत जमीन में परिवर्तन पर प्रतिबन्ध जमीन पर खेती करने वाले किसानों यहां तक कि आदिवासियों को जमीनों के पट्टे प्राप्ति पर रोक लगा देगा। जंगल की जमीन पर गैर जंगल से सम्बंधित कार्य की गतिविधि पर प्रतिबन्ध आदिवासियों और पारम्परिक तौर से जंगल में रहने वाले निवासियों को वन अधिकार कानून के लिए गंभीर चिन्ता का मामला है। पर्यावरण के संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन और निशानदेही अवैज्ञानिक थी। अनेकों भारी आबादी वाले क्षेत्रों को जब्त करके उन्हें वहां से बाहर किया गया। दुग्ध प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, सब्जी से तेल निकालने की इकाई और अस्पताल आदि को लाल उद्योगों की सूची में रखा गया है लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इन उपरोक्त वर्णित श्रेणी को इस कानून से बाहर रखने के लिए तैयार नहीं है। उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह ने अपनी प्रस्तुत कार्य योजना रिपोर्ट में जंगल एवं वन संरक्षण के लिए फण्ड के अलावा खेती में जैविक उर्वरकों के उपयोग को आगे बढ़ाने

में मदद करने के लिए या कृषि में सब्सिडी बढ़ाने के लिए कोई विशेष फण्ड के निर्धारण की सिफारिश नहीं की है।

इस संदर्भ में, अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी निम्न. लिखित मांगें रखीं–

1. उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह की रिपोर्ट में सिफारिशों को तत्काल रोका जाय।
2. पश्चिमी घाट पर्यावरण विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट एवं उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह की रिपोर्ट की जांच के लिए वैज्ञानिकों और जनता के प्रतिनिधियों का एक विशेषज्ञ समूह बनाया जाय।
3. पर्यावरण की सुरक्षा एवं पश्चिमी घाटों के क्षेत्रों की जनता की जीविका के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जाय।

अखिल भारतीय किसान सभा देश के सभी लोगों से अपील करती है कि पश्चिमी घाटों के क्षेत्र के किसानों की न्यायोचित मांगों का समर्थन करने के लिए एक जुट हों।

पोस्को के विरोध में दिल्ली से भुवनेश्वर तक प्रतिरोध

दिल्ली स्थित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के भवन पर तथा ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने लोयर पीएमजी स्ट्रीट पर आज सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और छात्र–नौजवानों ने जगतसिंहपुर में पोस्को कम्पनी को पर्यावरण की मंजूरी के विरोध में प्रदर्शन किया. पॉस्को प्रति. रोध संग्राम समिति (पीपीएसएस) ने पॉस्को एवं दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में 15 जनवरी की घोषणा की थी. इसी कड़ी में दिल्ली और भुवनेश्वर में प्रदर्शन किये गये थे.

पर्यावरण भवन के सामने आदिवासी भूमि पर जबरन कब्जा करने, पोस्को को दी गई मंजूरी के खिलाफ नारे लगाए और पर्यावरण एवं वन मंत्री को प्रदर्शनारत युवाओं ने ज्ञापन दिया, जिसे सबके सामने पढकर सुनाया गया.

दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि हम यहाँ पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति सुश्री पॉर्क गुवेन हे की 15–18 जनवरी तक भारत की यात्रा के विरोध में इकठा हुए है. क्योकि कोरियाई राष्ट्रपति भारत में पॉस्को परियोजना और कोरियाई इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए एक परमाणु पार्क के आवंटन को मजबूती देने के लिए आ रही है.

पिछले महीनें जयंती नटराजन से पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार लेने के बाद पर्यावरण मंत्री एम. वीरप्पा मो. इली ने 7 जनवरी को पोस्को परियोजना को मंजूरी दी है. पॉस्को को यह मंजूरी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पॉर्क गुवेन हे के भारत दौरे से सप्ताह भर पहले दी गई है। पॉस्को परियोजना भारत में सबसे बडा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के जिस फैसले के तहत जगतसिंहपुर में पोस्को कम्पनी को हरी झण्डी मिली उस फैसले का आधार देश में मौजूदा कानून या सरकार द्वारा नियुक्त समितियां और विशेषज्ञों की संस्तुति तथा स्थानीय लोगों की मांग नहीं बल्कि राज्य सरकार के प्रति 'आस्था एवं विश्वास' को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।

दिल्ली के पर्यावरण भवन पर पॉस्को एवं दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के खिलाफ किये गये प्रदर्शन की तस्वीरें–

इंसाफ और हिफाजत के लिए आईपीएफ के संयोजक अखिलेन्द्र का दस दिवसीय उपवास व धरना

दिल्ली के जंतर मंतर पर आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने दस दिवसीय उपवास किया। उपवास पर बैठे अखिलेन्द्र को विभिन्न संगठनों, पत्रकारों व बुद्धिजीवियों ने आकर दिया समर्थन दिया। पेश है इंसाफ और हिफाजत के लिए जारी धरने पर ***आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) का पर्चा–***

विभिन्न संगठनों, पत्रकारों व बुद्धिजीवियों ने आकर दिया समर्थन, उर्मिलेश, डॉ. सुनीलम, चितरंजन पहुँचे उपवास पर !!

अखिलेन्द्र का यह उपवास कॉरपोरेट घरानों व एनजीओं को लोकपाल कानून के दायरे में लाने, रोजगार के अधिकार को नीति निर्देशक तत्व की जगह संविधान के मूल अधिकार में शामिल करने, साम्प्रदायिक हिंसा निरोधक बिल को संसद से पारित कराने, कृषि योग्य भूमि के कॉरपोरेट खरीद पर रोक लगाने, कृषि लागत मूल्य आयोग को वैधानिक दर्जा देने, राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति व सर्वांगीण जनपक्षीय खनन नीति बनाने, कॉरपोरेट पर टैक्स बढ़ाने, शिक्षा–स्वास्थ्य–कृषि समेत जनहित के मदों पर खर्च बढ़ाने देश में एक बार फिर बदलाव के पक्ष में जनता का विश्वास बढ़ा है। जिन लोगों ने अवाम की जिंदगी को तबाह कर रखा है उनकी शिनाख्त अब जनता करने लगी हैं आने वाले दिनों में ऐसी ताकतों के बारे में जनता की समझ और भी साफ हो जायेगी। लोकपाल कानून देश में पारित हो गया। कौन नहीं जानता कि कारपोरेट घरानों यानी बड़े पूंजीपतियों ने पूरे राजनीतिक तंत्र को भ्रष्ट कर दिया हैं, सरकारी परियोजनाओं में ठेके, टेण्डर या पीपीपी प्रोजेक्ट हासिल कर प्राकृति संसाधनों व जनता की सम्पत्ति को औने–पोने दाम पर सरकारों से खरीद लिया है, अपने मुनाफे के लिए देश को तबाह कर दिया है। लेकिन कारपोरेट को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया है। इस सवाल पर देश में अभी और लड़ाई होनी बाकी है।

आए दिन पेट्रोल–डीजल–रसोई गैस के दाम तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने और सरकारी तामझाम पर खर्च करने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। यहां तक कि खाने की चीजों व सब्जियों में भी सट्टेबाजी हो रही है और जिसके कारण दाम बढ़ रहे हैं। यहां तक कि खाने की चीजों व सब्जियों में भी सट्टेबाजी हो रही है और जिसके कारण दाम बढ़ रहे हैं लेकिन इस पर रोक नहीं लग रही हैं प्रधानमंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि वह महंगाई नहीं रोक पाए पर वह यह नहीं बता रहे हैं कि महंगाई की प्रमुख वजह सट्टेबाजी पर रोक क्यों नहीं लगा पाए? प्रधानमंत्री कहते है कि हम रोजगार नहीं दे पाए, महोदय जब आप खेतीबाड़ी, कल–कारखानों को विदेशी कंपनियों और कारपोरेट घरानों के हवाले करने की रोजगारविहीन आर्थिक नीतियों को लागू करने में लगे रहे तब रोजगार पैदा ही कहां से होगा।

देश आजाद हो रहा था, गांधी जी देश के विभाजन से हताश और निराश थे, बन रहे संविधान में रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया, उनके दबाव में इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया। वीपी सिंह की सरकार बनी, सरकार और राष्ट्रपति ने घोषणा भी की कि रोजगार के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जायेगा लेकिन आज तक यह नहीं हुआ। नौजवान ही नहीं प्रधानमंत्री जी आकी नीतियों, जिसके पैरोकार मोदी से लेकर मुलायम तक हैं, ने किसानों और हमारे कुटीर उद्योगों में लगे लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। लाखों किसान और गरीब आत्महत्या कर चुके हैं और रोज ब रोज हो रही आत्महत्याओं का कोई आंकड़ा नहीं है। हालत यह हो गयी है कि किसानों के लाभकारी मूल्य की बात तो छोड़ दीजिए जो उन्होंने पैदा किया हे वह भी खरीदा नहीं जा रहा है और जो कुछ खरीदा गया है उसका न्यायालयों के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। कानून व्यवस्था की हालत यह है कि आए दिन तमाम विरोधों के बावजूद महिलाओं को अपमान और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। समाज के उत्पीड़ित तबके चौतरफा हमले के शिकार हैं। हमारे देश में जो लोग दंगाईयों द्वारा घरों से बेदखल किए जा रहे हैं और कब्रगाहों तक में शरण लिए हैं उनके रैनबसेरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।

साथियो, जब तक लोकतंत्र के नाम पर कारपोरेट राज चलेगा तब तक देश में तबाही, बर्बादी, दंगा–फसाद जारी रहेगा। इसलिए कारपोरेट राज के खिलाफ जनता के राज के लिए निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी, बीच का कोई रास्ता नहीं है। आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) अपने जन्मकाल से ही जनपक्षीय नीतियों और जनराजनीति के लिए लड़ाई जारी रखे हुए है। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, कारपोरेट घरानों को लोकपाल कानून के दायरे में ले आने व उन पर टैक्स बढ़ाने, राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने, शिक्षा– स्वास्थ्य–कृषि समेत जनहित के मदों पर खर्च बढ़ाने, अल्पसंख्यकों व महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी और पूरे देश में कानून का राज स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण सवालों पर 07 फरवरी से जंतर–मंतर पर धरना व उपवास किया

जायेगा। आपसे अपील है कि इस आंदोलन में हिस्सेदार बनें और हर संभव सहयोग करें।

आंदोलन के मुद्दे

साम्प्रदायिकता के खिलाफ–

1. अल्संख्यकों की हर हाल में सुरक्षा की गारंटी की जाए और साम्प्रदायिकता पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाए।
2. साम्प्रदायिकता के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा की जाए।
3. मुजफ्फरनगर के साथ ही सपा सरकार के शासनकाल में हुए दंगों की न्यायिक जांच करायी जाए और इसके लिए जवाबदेह नेताओं, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित किया जाए।
4. आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार बेकसूर अल्पसंख्यक युवकों के मुकदमों के निसतारण के लिए विशेष अदालतों का गठन हो और जितनी जल्दी हो सके जो निर्दोष हो, उनकी रिहाई हो और जो लोग अदालत द्वारा निर्दोष करार देकर छूट गये हैं, उन सबके पुनर्वास की गारंटी की जाए और उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए।
5. उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का तत्कला गठन किया जाए।

सामाजिक न्याय के संबंध में–

1. पिछड़े मुसलमानों का कोटा अन्य पिछड़े वर्ग से अलग किया जाए। धारा 341 में संशोधन कर दलित मुसलमानों व ईसाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। सच्चर कमेटी व रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाय।
2. अति पिछड़ी जातियों को अन्य पिछड़े वगै में से अलग आरक्षण कोटा दिया जाए।
3. एससी/एसटी के कोटे के रिक्त सरकारी पदों को भरा जाए और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिय जाए।

किसानों के हित में–

1. तत्काल प्रभाव से कृषि लागत मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
2. कृषि के कारपोरेटीकरण की प्रत्यक्ष व परोक्ष पहल पर रोग लगे और इसके स्थान पर सहकारी कृषि को आर्थिक एवं प्रशासनिक मदद दी जाए।
3. बंद पड़ी अथवा बंदी के कगार पर खड़ी निजी चीनी मिलों को किसान सहकारी समितियों को सौंपा जाए तथा इनके संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरी मदद दी जाए।
4. कृषि योग्य उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगे और किसानों व भूमिहीनों के हितों कीरक्षा करने वाली भूमि अधिग्रहण व भूमि उपयोग नीति बनायी जाए।
5. किसानों को सस्ते दर पर खाद, बीज, डीजल, बिजली आदि की व्यवस्था की जाए और उनके कर्जे माफ किए जाएं और गन्ना किसानों के बाकि का तत्काल भुगतान किया जाए।
6. ठेका खेती और जेनेटिक सीड के इस्तेमाल पर रोक लगायी जाए।

भ्रष्टाचार व महंगाई के खिलाफ–

1. कारपोरेट घराने जो सरकारी परियोजनाओं में ठेके, टेण्डर या पीपीपी प्रोजेक्ट हासिल करते हैं उन्हें लोकपाल के दायरे में लाया जाए।
2. बढ़ती महंगाई रोकने के लिए सट्टेबाजी, कालाबाजारी व जमाखोरी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और वायदा कारोबार पर रोक लगायी जाए।
3. मूलभूत जरूरतों की आपूर्ति में बिचौलियों के संगठनों की भूमिका को नियंत्रित कर महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए।

रोजगार के संबंध में–

1. रोजगार के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार घोषित किया जाए।
2. देश के बड़े पूंजीपतियों यानी कारपोरेट घरानों पर सम्पत्ति कर में भारी बढ़ोतरी की जाए तथा तमाम छूटों एवं इसके कानूनों व नियमों में मौजूद कमियों का अंत कर इसके दायरे को व्यापक बनाया जाए। उत्तराधिकार कर को लागू किया जाए।
3. एक राष्टीय वेतन और आय नीबित बनायी जाए जो विभिन्न क्षेत्रों व वर्गों के बीच असमानता में भार कमी करे।
4. आंगनबाड़ी, आशा, शिक्षा मित्रों व रसोइयों समेत सभी स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए व ठेक मजदूरों को विनियमित किया जाए।
5. न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपये निर्धारित की जाए।
6. सार्वजनिक क्षेत्रों, सरकारी सेवाओं व सभी स्तर के शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए।
7. मनरेगा में हर हाल में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए, रोजगार न देने की स्थिति में बेकारी भत्ता

दिया जाय और मनरेगा जैसी योजना को शहरों में भी लागू किया जाए।

उद्योग व मजदूरों के लिए–

1. बिजली दरों को बढ़ाना बंद किया जाए। बिजली क्षेत्र के निजीकरण पर रोग लगायी जाए और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को पूरी क्षमता से चलाया जाए। बिजली क्षेत्र के भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच करायी जाए।
2. बुनकरों के कर्ज माफ किये जाएं और उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तरह अन्य सभी सुविधायें मुहैया करायी जाए। लघु व कुटीर उद्योगों को मुफ्त में बिजली दी जाए।

जनहित के संबंध में–

1. कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत जनहित के मदों में खर्च को बढ़ाया जाए।
2. शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा का बाजारीकरण बंद किया जाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य व शिक्षा सेवा का विस्तार किया जाए।

महिलाओं के संबंध में–

1. महिला आरक्षण बिल संसद द्वारा पारित किया जाए और महिलाओं की हर हाल में सुरक्षा की गारंटी की जाये और मानवीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी विभागों में 'वूमेन सेल' का तत्काल गठन किया जाए।

महेश सिंह, मो0 आरिफ अंसारी, मो0 साबिर अजीजी, मो0 युसुफ अजीजी, मो0 वली अंसारी, षैलेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बब्बू सिंह, क्रांति कुमार सिंह कैसरगंज, राजेश त्रिपाठी अध्यक्ष बहराइच विकास मंच, छक्कन राम चौहान एडवोकेट, शमीम अहमद इद्रीसी, भूपेन्द्र श्रीवास्तव भा0 किसान क्रांति दल, देव प्रकाश मिश्र, दयाराम गोस्वामी, हरीशचंद कौशल, शिव कुमार कान्दू, लाल चंद भारती, शोनू सरदार,, शेख अब्दुल गफ्फार, अमरनाथ सिंह, गणेश दत्त सिंह, शिव राम, जान मो0 अंसारी, रमजान खां, नसीब अली, षेख रफीउल्ला अंसारी, जिलेदार चौहान, रमेश चौहान, डा0 ए के सिंह, सुरेश सिंह, अली हुसैन, सुहेल अहमद व आल इण्डिया पपीफलस फ्रंट व सामाजिक न्याय मंच द्वारा जारी।

हिमाचल प्रदेश

आखिर दिल्ली की प्यास कब बुझेगी?

दिल्ली के निवासियों को जिंदा रखने की कीमत हिमाचल के लोग अपनी आजीविका के विनाश और बाँध परियोजनाओं के दुष्प्रभावों के रूप में चुकाने पर मजबूर हैं. दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए प्रस्तावित रेणुकाजी बांध परियोजना के जबरर्दस्त विरोध के बावजूद हाल ही में एक और किशाउ बांध परियोजना पर समझौता हुआ हैं जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली को पानी पिलाना हैं. किशाउ बांध जन संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोग अपनी जीविका बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली की प्यास हिमाचल तथा उतराखंड के हजारों लोगों को बेघर और बेबस कर ही बुझेगी? पेश हैं ***पूर्णचंद शर्मा की रिपोर्ट:***

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुकाजी बांध परियोजना के जबरर्दस्त विरोध के बावजूद सिरमौर जिले में ही दुसरी बड़ी परियोजना किशाउ बांध के नाम से प्रस्तावित की है जो टोंस नदी पर बनने जा रही है। टोंस नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस परियोजना का भी मुख्य उद्देश्य दिल्ली को पानी पिलाना और उतरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राज्यस्थान को सिंचाई के लिए पानी देना और साथ ही इस बांध के सहारे 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की भी योजना है। इस परियोजना के लिए 2950 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा जिसमे लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन हिमाचल प्रदेश की व 1450 हेक्टेयर उतराखण्ड की है। इस परियोजना के बनने से 45 कि0 मी0 लम्बी झील बनेगी। इस बहुद्देशीय बताई जाने वाली परियोजना में उपजाऊ कृषि जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है जो अदरक उत्पादन में एशिया में अग्रणीय स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त अधिग्रहण की जाने वाली भूमि से नकदी फसलें जैसे टमाटर, लहसून, मूंगफली, प्याज व बीन जैसी सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा हैं इसके अतिरिक्त यहां के लोग दलहनी व तिलहनी फसलें भी उगाते है। और इन्हें राष्ट्रीय स्तर तक की मण्डीयों में भेजा जाता है।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ही प्रस्तावित रेणुकाजी बांध परियोजना जिसकी लम्बाई 24 कि0मी0 है और ऊचाई 148 मी0 जिसके बनने से 1630 हेक्टेयर जमीन का जलमग्न होना तय है और कुल 2200 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जानी है। लगभग भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। इस परियोजना के बनने से लगभग 15 लाख पेड़ कटेंगे या जलमग्न हो जाएंगे और 1142 परिवारों का विस्थापन (हि.प्र.पा.को.लि.) के आंकड़ों के अनुसार होगा. लेकिन हि.प्र.पा.को.लि. द्वारा वन एंव पर्यावरण मंत्रालय से फोरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए 1.86 लाख पेड़ ही अपनी रिर्पोट में दर्शाए हैं. हि.प्र. पा.को.लि. ने अब इस झूठी रिपोर्ट को वन एंव पर्यावरण मंत्रालय को फोरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए भेज दिया गया है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया खत्म होने के बावजूद भी लगभग 80 लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। संघर्ष अभी भी जारी है और नेशनल ग्रीनट्रिबियूनल में मामला लम्बित पड़ा है।

ध्यान रहे कि भौगोलिक स्थिति के पिछड़ा होने के कारण यह क्षेत्र कम्पनियों व सरकार को जमीन अधिग्रहण करने में आसान भी लग रहा था लेकिन रेणुका जी बांध परियोजना के विरोध में हुए जनसंघर्ष ने लोगों के दिलों में एक जनसंघर्ष की चेतना पैदा कर दी है। 2 वर्षो के अथक प्रयासों के बाद वहां पर 20 जुलाई 2013 को उत्तम सिह व नरेश नेगी की अगवाई में किशाउ बांध जन संघर्ष समिति का गठन हो गया है और लोग इसके विरोध के लिए लाम्बन्द हो रहे है।

यदि 17 अगस्त को उतराखण्ड में प्राकृतिक आपदा नहीं आई होती तो इस परियोजना का एमओयू साईन हो जाना तय था। लेकिन इस त्रास्दी के कारण इस परियोजना का एमओयू साईन होने से रुक गया है और लोगों को समझने के लिए वक्त भी मिल गया है। इन दोनों परियोजनाओं के अतिरिक्त सिरमौर में 2 बड़ी चूना पत्थर की खदानें भी हैं जिसके कारण यहां पर पानी के प्राकृतिक स्त्रोत नष्ट हो गए हैं और जंगली जानवरों का पलायन गांव की ओर हुआ है जिसके कारण किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। इस कारण जिला सिरमौर में खेती का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। डैमों व खदानों के कारण जो पेड़ कट रहे हैं उससे पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है।

हरियाणा

मारूति सुजुकी वर्कर्स की कैथल से दिल्ली यात्रा

अन्याय के विरुद्ध मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन की 15 जनवरी को कैथल जिला सचिवालय हरियाणा के सामने से शुरू हुआ 'जनजागरण यात्रा' 23 जनवरी 2014 को रोहतक पहुची। रोहतक शहर में पदयात्रा रोहतक बस स्टैंड, लघु सचिवालय, और मानसरोवर पार्क होकर शहर में अपना प्रचार करते हुए गयी। दो नुक्कड़ सभा को संबोधित करके यूनियन ने हरियाणा मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा के नाम एक ज्ञापन दिया गया। मजदूरों ने मुख्य मांग रखते हुए कहा की 18 महीने से जेल मे बंद 148 मजदूरों को रिहा किया जाए, 18 जुलाई की घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की जाए और सभी बर्खास्त मजदूरों को काम पर वापस लिया जाए।

सभा में मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन के समर्थन में जनसंघर्ष मंच हरियाणा, सी.आई.टी.यू., इंकलाबी मजदूर केन्द्र, क्रान्तिकारी नौजवान सभा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा–मजदूर कार्यकर्ता कमेटी, समतामूलक महिला संगठन, एस. एफ.आई., छात्र एकता मंच, रेवुलुसोनारी कल्चरल फ्रंट, सर्व कर्मचारी संघ सहित तमाम जन संगठन शामिल रहे, बात रखी और सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। वकील रणबीर हुड्डा ने भी समर्थन में अपनी बात रखी। वक्ताओं ने बोला की यह सभी मजदूर और किसानो की संयुक्त लड़ाई है, और हरियाणा सरकार के अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ ये जारी रहेगा, और 31 जनवरी को दोपहर जंतर मंतर पर पहुचकर पदयात्रा को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान मजदूरों ने ऐलान किया कि 'जुल्मी कब तक जुल्म करेगा शोषण के हथियारों से, हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से।'

वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ तो तमाम अपराधी तो सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन बेगुनाह 148 मजदूर 18 महीने से जेल में बन्द हैं। गैरकानूनी कृत्यों में लिप्त प्रबन्धन तो ऐश कर रहा है और ढाई–तीन हजार मारुति के मजदूर बेरोजगार भटक रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि पिछले 18 माह के दौरान यह बात साफ तौर पर देखने में आई कि कैसे जापानी मालिकों की सेवा में लगी सरकार और उसकी पुलिस–प्रशासन–श्रम विभाग सारे कानूनो को ताक पर रख कर निर्लज्ज रूप से काम कर रही है। 18 जुलाई 2012 की दुखद घटना के वास्तविक दोषी मारुती प्रबन्धन बेगुनाह बैठा है और बेगुनाहगार मजदूर सजाएं भुगत रहे हैं, दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं।

यूनियन के प्रोविजोनल कमेटी के तरफ से राजपाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शासन सत्ता की बेरुखी के बाद मारुति के मजदूरों तथा जेल में बंद मजदूरों के परिजनों का एकमात्र सहारा आम मेहनतकश जनता का इस न्याय की लड़ाई में समर्थन है। जनता के वोट से चुनी हुई सरकार जापानी पूंजीपति की दलाली नंगे तौर पर कर रही है। इस सरकार को मेहनतकश जनता मुंहतोड जवाब देगी।

इससे पूर्व पदयात्रा कैथल से शुरू करते हुए प्योदा, देवबन, गुलियाणा, किठाना, सामदो और नागूरा गाँव समेत कैथल और जींद जिले के समस्त गांवों में अपना बात रखते हुए गयी। जत्था 19 जनवरी को जींद, 20 को गतोली और जुलाना और 22 को लाखन माजरा और भगवतीपुर होते हुए रोहतक पहुंची।

मारुति मजदूरों के हाल की दास्तान सुनने के बाद गाँव के लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है तथा लोग ये चर्चा करने लगे की सरकार एक जापानी कंपनी की दलाली में यहाँ तक उतर आई है की वे जेल में बंद 148 मजदूरों की जमानत तक नहीं होने दे रही है। जत्थे का ही असर यह है की सरकार तथा उसके नुमाइंदे गाँव गाँव पहुचकर जत्थे कह राह में अवरोध पैदा कर रहे हैं जिसके चलते हमारा समर्थन दोगुना होता जा रहा है।

'हमारे साथियों को रिहा करो' नारे के साथ प्रारम्भ हुई इस पदयात्रा की गूँज कैथल से दिल्ली तक 16 दिनो में हर गाँव–शहर–गली–मोहल्ले में पहुंची। हर जगह स्थानीय लोगों ने बोला की यह लड़ाई केवल मजदूरों की नहीं है, बल्कि अब यह लड़ाई हरियाणा की अस्मिता की भी लड़ाई बन चुकी है। क्योकि जुलाई 2012 के बाद फैक्टरियों ने हरियाणा के नौजवानों को काम पर रखना बंद कर दिया है। पदयात्रा के द्वारा हम न्याय पाने के अपने संकल्प को आम जनता तक ले जा रहे हैं।

रोहतक से होकर दिघल (झज्जर), 24 को चमनपुर व गुड्डा, 25 को झज्जर व दादरी, 26 को दादरी से फारूख नगर, 27 को गढ़ी और 28 को गुडगाँव में ट्रेड यूनियनो के समर्थन के साथ सभा करने के बाद यह पदयात्रा दिल्ली पहुंची। 29 जनवरी को छात्र–युवा संगठनों ने समर्थन में दिल्ली के जे. एन.यू. में सभा का आयोजन किया तथा 31 जनवरी को दिल्ली जन्तर मन्तर पर धरना–प्रदर्शन किया।

ग्रीन ट्रिब्युनल ने गोरखपुर परमाणु संयंत्र पर माँगा जवाब, सुनवाई शुरू

जनहित से जुड़े हर मोर्चे पर असफल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में फतेहाबाद के गोरखपुर में परमाणु संयंत्र की आधारशिला 13 जनवरी 2014 को रखी है. महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के साथ परमाणु संयंत्र उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं ये उन्होंने हाल में खुद कहा है. फतेहाबाद के किसान, ग्रामीण और आम लोग पिछले चार बरसों से इस प्रस्तावित प्लांट का विरोध कर रहे हैं. इस लंबे संघर्ष में तीन किसान साथियों ने अपनी जान भी गंवाई है.

12 मार्च 2014 को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल के माननीय जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली मुख्य बैंच ने फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में बनने वाले परमाणु संयंत्र को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में दी गई पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ याचिका संख्या 8/2014 पर सुनवाई करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार,न्युक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, हरियाणा सरकार, मुख्य वन्य जीव संरक्षक हरियाणा, को नोटिस जारी किया है और दिनांक 21.03.2014 को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जीव रक्षा बिश्नोई सभा के सदस्य याचिकाकर्ता विनोद कड़वासरा ने एडवोकेट डॉ. एम.सी.मेहता (शीर्ष पर्यावरणविद वकील,सुप्रीम कोर्ट) के माध्यम से याचिका दायर की। पांच सदस्यीय खण्डपीठ के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति यू.डी. साल्वी–न्यायिक सदस्य, डॉ देवेन्द्र कुमार अग्रवाल– विशेषज्ञ सदस्य, श्री विक्रम सिंह साजवान– विशेषज्ञ सदस्य, डॉ आर. सी. त्रिवेदी–विशेषज्ञ सदस्य ने सुनवाई करते हुए सभी छः प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है।

याचिका में पूरे प्रोजेक्ट को भी वन्यजीव दृष्टिकोण व अन्य खामियों के अनुसार लिया गया है जिसमें घनी आबादी और हिसार, फतेहाबाद व दिल्ली इत्यादि से नजदीकी भी मुख्य कारणों में शामिल है। संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला पानी भी 1955 के भाखड़ा डैम समझौते के अनुसार केवल सिंचाई और जल ऊर्जा प्राप्ति के लिए था ना कि परमाणु उर्जा के लिए। नहर में विकिरणयुक्त पानी से सिंचाई के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत विपरीत असर पड़ेगा क्योंकि लाखों लोग पीने के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। सिचांई का पानी संयंत्र में प्रयोग करने से इलाके के लाखों एकड़ खेत वीरान हो जाऐगें। इसके अलावा तुरंत बाड़बंदी व खम्बे हटाने की अंतरिम राहत के साथ साथ पर्यावरण मंजूरी रदद करने की प्रार्थना की गई है।

पूर्व केसः–

गौरतलब है कि गत वर्ष एनपीसीआईएल द्वारा आनन फानन में बिना पर्यावरण मंजूरी के ही वन्य जीवों को खदेड़कर कालोनी क्षेत्र में बाड़बंदी व खम्बे बनाने की फैक्टरी लगा दी गई। जुलाई में याचिकाकर्ता द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल की शरण लेकर कालोनी क्षेत्र से बाड़बंदी हटवा दी गई। याचिका दायर करने के बाद भारतीय वन्य जीव संस्थान दे. हरादून के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र का दौरा करके मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि क्षेत्र में अनुसूची–1 के वन्यजीवों की संरक्षण योजना तैयार करना ही उनके दौरे का उद्देश्य था लेकिन संरक्षण योजना तब तक संभव नहीं है जब तक एनपीसीआइएल कॉलोनी हेतु अधिगृहित भूमि को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। इसके अलावा एनपीसीआईएल को तुरंत अपनी फैक्टरी हटानी चाहिए और अनुसूची–1 के वन्यजीवों के लम्बे समय तक संरक्षण के लिए प्रशासन को तुरंत कुत्तों के बधियाकरण का अभियान चलाना चाहिए इसके बाद ही अनुसूची–1 के वन्यजीवों की संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

22 अगस्त 2013 को ग्रीन ट्रिब्युनल ने मंत्रालय को निर्देश दिए कि मंत्रालय पर्यावरण मंजूरी से संबधित आगामी किसी भी कार्यवाही में याचिकाकर्ता को शामिल करें जिसके अनुसार 19 नवम्बर 2013 को मंत्रालय की एक्सपर्ट एपरसल कमेटी की बैठक में विनोद कड़वासरा एवं एडवोकेट धर्मवीर पुनियां शामिल हुए और वन्यजीवों से संबधित सभी तथ्यों को रखते हुए भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की रिपोर्ट लागु करने की मांग की।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वन्यजीवों की संरक्षण योजना बनाए बिना ही एनपीसीआईएल को पर्यावरण मंजूरी दे दी। हालांकि 13 अक्तुबर 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एनपीसीआईएल को परमाणु संयंत्र की रिपोर्ट में अनुसूची–1 के वन्यजीवों की संरक्षण योजना तैयार करने बारे लिखा गया, इसके बाद पर्यावरण मंजूरी हेतू

एक्सपर्ट एपरसल कमेटी की दिनांक 18 नवम्बर 2012 व 22–23 मार्च 2014 की बैठकों में भी अनुसूची–1 के वन्यजीवों की संरक्षण योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। परन्तु संरक्षण योजना नहीं बनी और पर्यावरण मंजूरी दे दी गई और प्रधानमंत्री महोदय द्वारा संयंत्र का शिलान्यास कर दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा हिरण पार्क की घोषणा भी बेतुकी थी क्योंकि हिरण पार्क भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा नकार दिया था क्योंकि 300–400 हिरणों व नील गायों को मात्र 40.50 एकड़ में बंद नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र के लोग गत कई वर्षों से सरकार से वन्य जीव संरक्षण की गुहार लगा रहे है लेकिन सरकार वन्यजीवों के साथ क्षेत्र के लोगों का जीवन दांव पर लगाते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को उतावली हो रही हैं। पूरा संयंत्र व इससे निकालने वाला पानी भी लोगों के लिए खतरनाक होगा। यदि पर्यावरण मजूंरी रद्द होती है तो एईआरबी (परमाणु उर्जा रैग. ुलैटरी बोर्ड) व डीएई (डिपार्टमैंट आफॅ एटोमिक एनर्जी) से मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी और एनपीसीआईएल को दोबारा नए सिरे से वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार करनी होगी। कालोनी क्षेत्र को भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा अनुमोदन अनुसार "संरक्षित क्षेत्र" घोषित करना होगा। संरक्षण योजना तैयार करके नेशनल बोर्ड फॉर वाईल्ड लाईफ से वन्यजीव दृष्टिकोण से मंजूरी लेनी होगी और दोबारा पूरी रिपोर्ट तैयार करके पर्यावरण मंजूरी हेतु आवेदन करना होगा। उस पूरी प्रक्रिया में कई वर्ष लग सकते हैं।

– विनोद कड़वासरा (याचिकाकर्ता सदस्य जीव रक्षा बिश्नोई सभा)

गुजरात

हंसापुर : चरागाह और कृषि भूमि को मारूति सुजुकी कंपनी को आवंटित किए जाने के विरोध में तीन दिवसीय धरना 21 मार्च से आमरण अनशन

वर्ष 1954 में अहमदाबाद जिले की तहसील मंडल के हंसापुर गांव में भूमिहीन मलधारियों, दलितों और ठाकुरों को सरकार ने भूमि का आवंटन किया था (सर्वे नं. 1/ए/1 ब्लॉक नं. 293 द्वारा) जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 83–78–20 हेक्टेयर था। इसी प्रकार अल्पावधि की लीज पर खेती के लिए भी भूमि का आवंटन किया था। गुजरात सरकार (जी ओ जी) ने यह बहाना बनाते हुए कि भूमि जी आई डी सी को दी जा रही है, सीधे इस भूमि को मारुति लिमिटेड कंपनी को बेच दिया। इस प्रकार भूमि मालिकों और किसानों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया। कंपनी को भूमि की राशि का भुगतान 8 साल तक किस्तों के रूप में करना था। भूमि स्वामी और किसान अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ 2007 से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। दुखद बात यह है कि अब कंपनी ने इस भूमि पर चारदीवारी बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके विरोध में मलधारी विरोध करते हुए हंसापुर की सड़कों पर उतर आए तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए उनपर लाठी चार्ज किया।

चारदीवारी बनाए जाने के इस न्याय विरोधी कदम के विरोध में मलधारी अपने आंदोलन को जिलाधिकारी की चौखट तक ले गए और वहां 10 मार्च की सुबह को धरने पर बैठ गए। यह धरना 12 मार्च को शाम 6 बजे समाप्त हो गया। इस मामले में स्टे आर्डर पर सुनवाई लंबित है जो 13 मार्च को होनी थी। यदि अदालत का फैसला संतोषजनक नहीं रहा और इस मामले में गुजरात सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई तो किसान 21 मार्च 2014 से आमरण अनशन पर बैठेंगे और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि गुजरात में और अन्य भारत में गुजरात सरकार की किसान विरोधी और जन विरोधी नीति का सच सामने नहीं आ जाता।

लालजी देसाई सागर रबारी

जमीन अधिकार आंदोलन–गुजरात (जेएएजी)

ओडिशा

अस्तरंग बंदरगाह विरोधी आंदोलन की आवाज बुलंद

ओडिशा के समुद्री तट पर पुरी जिले का अस्तरंग ब्लॉक अलीविरडले कछुआ की सामूहिक अण्डा दान स्थली के लिए विश्व प्रसिद्द है. परन्तु जल्दी ही इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि सरकार ने इस हरे भरे क्षेत्र के लिए जो योजना बनायी है वह इस क्षेत्र को बर्बाद कर देगी. ओडिशा सरकार अपने तटीय क्षेत्र को बर्बाद करने की नीति पर अभी भी कायम है इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए वह पुरी जिले के अस्तरंग ब्लॉक में देवी नदी के मुहाने पर एक प्राइवेट बंदरगाह बनाने जा रही है. इस संबंध में ओडिशा सरकार हैदराबाद की कंपनी नवायुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एनईसी) के साथ 2008 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुकी है.

प्रस्तावित बंदरगाह के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए धारा 4(1) नोटिस 19 दिसंबर 2013 को जान बूझ कर जल्दबाजी में प्रकाशित किया गया है क्योंकि 1 जनवरी 2014 से नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने वाला था. ओडिशा सरकार ने विस्थापन और पुनर्वास नियम के तहत अधिसूचना जारी करने का भी इंतजार नहीं किया. भूमि अधिग्रहण के विरोध में पीर जहानिया भीटा माटी सुरक्षा मंच के बैनर तले आंदोलन जारी है. स्थानीय लोगों का कहना कि वह किसी भी कीमत पर अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देगे.

ग्रीन लाइफ के सामाजिक कार्यकर्ता शोवाकर बेहरा बताते है कि नवायुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एनईसी) आधुनिक बंदरगाह के निर्माण के साथ–साथ बंदरगाह को सड़क, रेल से जोड़ने के लिए 85 कि.मी. लम्बे गलियारे का भी निर्माण करेगी. बंदरगाह को विकसित करने के लिए लगभग 5,000 एकड़ भूमि तथा रेल एवं सड़क गलियारे के लिए 900 एकड़ तथा 1100 एकड़ भूमि की जरूरत कंम्पनी को है. कंम्पनी इस बंदरगाह का निर्माण बूस्ट (Boost) बिल्ड, आऊँन, आपरेट, शेयर तथा ट्रांसफर के आधार पर करेगी.

स्थानीय समुदाय के संघर्ष की अगुवाई करने वाली भूमि अधिग्रहण विरोधी पीर जहानिया भीटा माटी सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष काशीनाथ नायक बताते है कि प्रस्तावित बंदरगाह में गुनडालाबा, साहान, सुधाकेश्वर, छुरियाना, नानपुर, डलुआकानी और सुंदर गाँव पूर्ण रूप से विस्थापित हो जायेगे. 13 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा. इन गांवों का विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	गांव	क्षेत्रफल एकड़ में	कुल जमीन सरकारी भूमि	निजी भूमि
1.	गुनडालाबा	37.680	124.150	161.830
2.	साहान	261.120	253.970	515.090
3.	सुधाकेश्वर	5.450	905.759	911.209
4.	छुरियाना	286.540	437.065	723.605
5.	नानपुर	90.220	108.720	198.940
6.	डलुआकानी	169.370	90.898	260.268
7.	सुंदर	50.530	209.390	259.920
8.	कानामाना	78.200	199.810	278.010
9.	कुसुम्बर	2.120	12.710	14.830
10.	पताल्दा	12.700	67.185	79.885
11.	तिमोर	311.490	26.210	337.700
12.	अस्तरंग	58.800	–	58.800
13.	दामासुन	99.900	–	99.900
	कुल योग	1,464.120	2,435.867	3,899.987

बंदरगाह जिस जगह पर प्रस्तावित है वहाँ पर वर्ष 1645 में बनी पीर जहानिया या पीर बाबा का मजार स्थल है। जो हिन्दू–मुसलमान भाईचारे और एकता की एक मिसाल है। अगर इस अंचल में बंदरगाह बनेगा तो यहां का भाई चारा नष्ट होगा और साथ ही साथ 400 साल का पुराना ऐतिहासिक स्थल का भी विनाश हो जाएगा।

इस अंचल का कृषि उत्पादन देश तथा राज्य में कृषि उत्पादन में किसी भी हाल में कम नहीं है। यहाँ की उर्वरक मिट्टी समृद्ध कृषि के लिए जानी जाती है। यहां के जंगल से प्राप्त उत्पाद एवं कृषि उत्पाद केवल स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक उन्नति में ही सहायक नहीं है बल्कि उन्हें ओडिशा और ओडिशा के बाहर भी विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। जैसे की धान–पान मछली, चिनिया बेदाम, काजू, दाल, सब्जी, तिल्हन आदि।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट से 20 हजार मछुआरों का जीवन और जीविका समाप्त हो जाएगी और इस क्षेत्र के 7 राजस्व गाँव की लगभग 8000 आबादी पूर्ण रूप से विस्थापित होगी।

यह क्षेत्र विश्व के 5 अलीविरडले कछुआ गाथअन्डा दान स्थली या सामूहिक अण्डा दान स्थली में से एक हैं. भारत में यह एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर कछुवें सामूहिक रूप से अपने अंडे देते हैं. यहाँ पर हजारों की संख्या में अलीविरडले कछुआ सामूहिक अण्डा दान करने आते हैं.

इस अंचल के समुंद्र तथा देवी नदी मुहाने में भारी मात्रा में विभिन्न प्रजाति के जल जीव डालफिन, निल रक्त केकड़ा, समुद्र घोटक, ओक्टोपस, फीडक्राप, सार्क आदि और बहुत

सारे समुन्दरी जीव पाये जाते हैं। देवी नदी के मुहाने पर काफी संख्या में लाल केकड़े निवास करते है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

प्रस्तावित बंदरगाह से बालुखंड अभ्यारण में साल भर आने वाले विभिन्न देशी–विदेशी पक्षियों की निवास स्थली भी प्रभावित होगी. शीत ऋतु के आगमन में बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार विभिन्न प्रोजेक्ट के जरिये अभ्यारण का संरक्षण करने की योजना पर काम करती है। लेकिन इस बंदरगाह के आने से पहले अब तक खर्च किये गये जनता के पैसे को बर्बाद करने पर तुली है।

समुन्द्र तटवर्ती तकरीबन 22 किलोमीटर क्षेत्र के केचरिना, लिप्टस, आकासि, काजू, जंगल आदि को बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से बचाता है। 400 हेक्टर वन भूमि में विभिन्न वन जीव जैसे कि हिरण, लिजार्ड, जकल, लोमड़ी, हिंनाह, साँप, देशी–विदेशी पक्षी निवास करतें हैं यह क्षेत्र आस–पास के गांवों के 5000 हजार पशुओं को चारा भी मुहैया कराता है।

फिलहाल भूमि अधिग्रहण विरोधी पीर जहानिया भीटा माटी सुरक्षा मंच आंदोलन में डटा हैं तथा साथ ही प्रभावित होने वाले गांवों में स्थानीय समुदाय को एकजुट करने में भी लगा है.

– सोवाकर

पोस्को और राज्य सत्ता को कड़ी टक्कर देते ग्रामीण

16 फरवरी, 2014 को उड़ीसा के जगतसिंगपुर के नुआगांव के स्थानीय लोगों ने पोस्को के विरोध में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए पॉस्को के लिए बनाई गई 180 मीटर की गैर कानूनी दीवार को गिरा दिया हैं। पॉस्को ने इस दीवार का निर्माण करते समय ग्रामीणों के विरोध के बावजूद उस केस को भी नजरअंदाज किया था जो कि नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल में दर्ज था, ग्रामीणों ने नुआगांव स्थित पॉस्को के जनसंपर्क कैंप कार्यालय और आईडीसीओ के कार्यालय को भी ध्वस्त कर दिया हैं। नुआगांव के बाहर एक बांस का द्वार खड़ा कर किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पेश है ***पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समिति की विज्ञप्तिः***

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि दिनांक 16 फरवरी, 2014 को एक गैर मामूली सुखद घटना घटित हुई है। नुआगांव के लोग जो पॉस्को द्वारा अपनी समृद्ध पान की बेलों की बरबादी के कारण दुखी अपमानित और खिन्न महसूस कर रहे थे ने पॉस्को विरोधी संघर्ष के तहत अब पॉस्को के लिए बनाई गई 180 मीटर की गैर कानूनी दीवार को गिराने का निर्णय लिया हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉस्को ने इस दीवार का निर्माण करते समय उस केस को भी नजरअंदाज किया था जो कि नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल में दर्ज है। ग्रामीणों ने नुआगांव स्थित पॉस्को के जनसंपर्क कैंप कार्यालय और आईडीसीओ के कार्यालय को भी ध्वस्त कर दिया।

ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि वे पॉस्को की ओर से किसी अन्य को, जिला प्रशासन या पुलिस को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसी सिलसिले में गांववालों ने नुआगांव के बाहर बांस का एक द्वार भी खड़ा किया है और आज से ही इसके भीतर किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी है। हम गांववालों के आभारी हैं कि उन्होंने यह सब काम शांतिपूर्वक और पॉस्को विरोधी सच्ची भावना के साथ किया है।

आपको यह जानने की भी आवश्यकता है कि कारपोरेट्स की सामाजिक जिम्मेदारी के नाम पर पॉस्को की ओर से किए गए वादों को पूरा करने की कवायद फिर शुरू हो गई है। यह पॉस्को की रणनीति का हिस्सा है जिसके द्वारा नुआगांव के लोगों को फुसलाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ गांववाले पॉस्को के कोरे वादों के बिछाए गए इस जाल में फंस भी गए थे जिन्हें कंपनी द्वारा दिगभ्रमित किया गया। अब यह लोग महसूस कर रहे हैं कि पॉस्को का एक सूत्रीय एजेंडा यह है कि कंपनी उनकी उपजाऊ भूमि पर अपना कब्जा जमाकर वहां दीवार बना सके। इसके साथ ही कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लड़के क्षेत्र की शांति और भाईचारे की राह में बाधा उत्पन्न करने और लोगों को बहकाने का काम भी कर रहे हैं।

हमें आशंका है कि पॉस्को प्रबंधन और पुलिस यह योजना बना सकते हैं कि किसी तरह लोगों को आपस में बांट दिया जाए। वे यह योजना भी बना सकते हैं कि पॉस्को विराधी संधर्ष से जुड़े कुछ प्रमुख चेहरों को भी झूठे आरोप लगाकर अंदर कर दिया जाए चाहे वे घटना के समय मौजूद थे या नहीं। हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि उन्हें अपनी इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। इसके बावजूद मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि गांव वाले इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प हैं कि पॉस्को के किसी जाल में नहीं फंसेंगे और न ही पॉस्को को अपने गांव में आने देंगे। इन सभी को आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है ताकि पॉस्को के खिलाफ एकजुट होकर शांतिपूर्वक संघर्ष को जारी रखा जा सके।

उत्तर प्रदेश

2011 का पुलिस दमन नहीं भूलेंगे करछना के लोग

उत्तर प्रदेश के करछना में 21 जनवरी को किसानों के दमन के खिलाफ सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित किया गया । यह आयोजन 2011 से हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है ताकि 2011 में ग्रामीणों पर हुए पुलिसिया हमले की याद जिंदा रहे और उसके खिलाफ गुस्से की आग सुलगती रहे। जेपी को जमीन न देने पर आमरण अनशन में आए लोग बर्बर पुलिसिया दमन के शिकार हुए जिसमें एक किसान की जान चली गई तथा दो दर्जन से अधिक किसान बुरी तरह घायल हुए थे. पेश है इस मौके पर जारी ***पर्चा:***

ज्ञातव्य है कि करछना क्षेत्र के आठ गांवों की जमीन जे.पी. के द्वारा स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट के लिए अधिग्रहित की जा रही थी. इसके विरोध में करछना के किसान बाइस अगस्त दो हजार दस से धरने पर बैठे थे. सरकार, प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया. पुलिस ने दमन के सहारे आन्दोलन को कुचलने की कोशिश की. पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस और फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक किसान की मौत हो गई। किसान की मौत होने से किसान और अधिक भड़क गए। किसानों ने पुलिस को पीछे हटने पर विवश कर दिया।

तब से हर साल 21 जनवरी को काला दिवस के रूप में याद करने की शुरूआत हुई। इस साल करछना के लोगों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित किया। राजबहादुर सिंह पटेल ने सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा कि आप जानते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति के चलते सूबे की सरकार गैर कानूनी ढंग से कचरी करछना पावर प्लांट के लिए आठ गाँवों की जमीनों का अर्जन कर रही थी। उस पर कानून के तहत अगुवाई कर रहे किसानों से सूबे की सरकार किसानों के संघर्ष व माननीय उच्च न्यायालय में हार गई! देश के अन्दर कचरी का किसान आन्दोलन बाइस अगस्त दो हजार दस से (22/08/2010) तमाम दुश्वारियों के बावजूद अवाध गति से चल रहा है। जिसका क्रमिक अनशन का आज 1250वां दिन है। प्रदेश में गन्ना किसान, गंगा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, भठ्टा परसौल, बारा पॉवर प्लांट, कोहडार पॉवर प्लांट पर किसानों ने सामूहिक विकास के साथ जन संस्कृति को लेकर संघर्ष में आगे बढ़े। शासन सत्ता के नुमाइन्दें लोकसेवक (नौकरशाही), एवं कारपोरेट घरानों की तिकड़ी के तमाम दमन, प्रलोभन, झूठे वादे किसानों के चट्टानी नेतृत्व एवं फौलादी एकता के आगे नतमस्तक हो गए। यही नहीं कचरी करछना का किसान संघर्ष हमारे पूरे सूबे में अपने नए तेवरों कुशलता एवं जिम्मेदारियों के लिए नायाब मिसाल के रूप में खडा है। यह आवश्यक है। हर संघर्ष अपने आप में मिसाल है। कचरी में सफलता के साथ संघर्षशील जुझारू किसान गुलाब विश्वकर्मा की शहादत! जो आज के दिन पुलिस के द्वारा की गयी थी। इक्कीस जनवरी दो हजार ग्यारह को एक महान बलिदान के रूप में हमारे आपके सामने हो।! हमारे लिए सदी के किसान संघर्ष के दखल पर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अमिट छाप के बतौर दाखिल है।

संघर्ष के बहादुर भाइयों – बहनों! हम आप जानते है। विकास किसी युग मे हो। इसके केन्द्र में आम आदमी की सम्मानजनक हिस्सेदारी एवं उस विकास के निर्णय एवं संचालन प्रक्रिया में जनवरी दो हजार ग्यारह को एक महान बलिदान के रूप में हमारे आपके सामने हो।! हमारे लिए सदी के किसान संघर्ष के दखल पर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अमिट छाप के बतौर दाखिल निर्णय लेने का भी हक हो। तभी वह विकास, उस समुदाय के समग्र विकास का रास्ता होगा। इस दौर में विकास के लिए जरूरी पूँजी के लिए जन एवं उसका तंत्र पर सरकारें कॉरपोरेट घरानों

के जरगुलाम की तरह पेश हो रही हैं। जो बेहद शर्मनाक है। तीनों की तिकड़ी एक सुनियोजित लूटतंत्र चला रही है। किसान का गेहूं तेरह सौ में और शक्ति भोग आटा (आई.टी. सी) छब्बीस सौ में, किसान का दूध बीस रू0 लीटर में – धनपशुओं का चालीस रू0 में सबका पानी में हक है उसे भी बीस रूपये लीटर, नमक अस्सी रूप्ये कुतंल का पन्द्रह सौ रूप्ये में बेचा जा रहा है। आखिर उत्पादन–वितरण के बीच आतार्किक अन्तर दुनियां के सभ्य देशों में कहीं नहीं है। तब यह शासन, भ्रष्ट अफसर एवं कारपोरेट घरानों का लूटतंत्र नहीं तो क्या है।

आप जानते हैं कि कचरी के आन्दोलन को माननीय उच्च न्यायालय ने भी विजेता घोषित किया। इसलिए किसानों के ऊपर सूबे के प्रशासन द्वारा लगाए मुकदमों को सपा सरकार को स्वतः समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे में आइए हम सब आप मिलकर! विकास के लिए, प्रदुषण पर्यावरणीय जन भागीदारी सामुदायिक, जनतांत्रिक विकास के लिए एकजुट हों। इक्कीसवीं सदी के नए राष्ट्र के निर्माण में किसानों की चुनौतियों; इसमें जूड़े तिरानवें करोड़ लोगों के कुपोषण का सवाल हम मिलकर हल करें। आत्मनिर्भर विकास में प्रकृति, मानव सम्पदा, तकनीक पर जोर संस्कृति के विकास के साथ जोड़े।

मुख्य वक्ता – राजबहादुर सिंह पटेल (प्रदेश अध्यक्ष किसान संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश), रवीन्द्र सिंह (बिहान), रामसागर (वरिष्ठ उपध्यचक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ इलाहाबाद), जवाहर विश्वकर्मा (प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ) राजीव चंदेल (संयोजक विस्थापना विरोधी किसान मंच) भीमसेन शर्मा, हरिश्चन्द्र मिश्रा, सुमन अवस्थी, मुन्नी निषाद, मस्तराम पटेल, रामबरन यादव, शुम्मारी, राजनारायण पटेल, दुलारी विश्वकर्मा, राजमणि यादव, प्रताप बहादुर पटेल, घनश्याम प्रधान (भनौरी) राकेश प्रधान (बसहरा), सरदार सिंह (प्रधान बारी बजहियाँ) अकबाल सिंह भष्मा, लल्लू भाई (बंधवा) रामतीरथ (मिश्रा बांध), सख्खू कोल, सुदामा कोल, रमाकांत यादव (पूर्व प्रधान घोरहा मेजा), प्रेम भाई पटेल, महेन्द्र कुशवाहा, जंगीलाल।

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे खिलाफ जनसंगठनों की लामबंदी तेज

गुजरी 11 फरवरी, 2014 को बसपा, कांग्रेस और भाकियू ने उत्तर प्रदेश के चौपुला में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे के विरोध में दिसम्बर 2013 से जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन दोहराया है। इस मौके पर वक्ताओं ने भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए कहा कि इस हाइवे की आवश्यकता नहीं है।

50 गांवों से गुजरेगा ग्रीन एक्सप्रेस–वे

आगरा–लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) 50 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके लिए करीब 3200 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना तय है। इसमें सदर तहसील के फगुआ, बेहरिन, वनपुरा नरायनपुर्वा, पचोर, गागेमऊ, गोवा, मतौली व लोहामढ के राजस्व गांव चयनित किए गए है। इसी तरह तिर्वा तहसील में बहसुइया, पिपरौली, भुन्ना, कड़ेरा, सिकरोरी, सियापुर काछी, अलमापुर, सतसार, बलनापुर, पट्टी, अलीपुर अहाना, बस्ता व ठठिया गांव इसके दायरे में हैं।

क्योंकि आगरा से लखनऊ वाया इटावा व कानपुर पहले से दो–दो हाई वे है तो फिर यह तीसरा हाई वे क्यों बनाया जा रहा है.

बसपा के जसवंतनगर विधानसभा प्रभारी मनीष यादव ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने ऐलान किया कि किसानों की लड़ाई को विधानसभा व हाईकोर्ट तक लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के करहल तहसील अध्यक्ष पूरन सिंह ने यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठकर समर्थन जताया। काग्रेस के नेता अजय कुमार यादव ने आंदोलन को समर्थन दिया। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष उदयभान सिंह यादव धरना स्थल पर पहुंचे।

आंदोलन भू–अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति चौपुला के बैनर तले चल रहा है। दो सूत्रीय मांगों को लेकर चले रहे आंदोलन के तहत धरना सभा की अध्यक्षता महेश चंद्र यादव ने की। धरने पर संयोजक उदयवीर सिंह यादव, उप संयोजक राम संजीवन यादव, कोषाध्यक्ष मुरारीलाल यादव, किसान सभा जिला मंत्री संतोष शाक्य, भाकियू के भुवनेश राजपूत, रामनरेश यादव, महावीर यादव, किसान सभा के संयुक्त मंत्री विवेक यादव आदि बैठे।

आखिर किसानों के दर्द को कौन समझेगा ?

(उत्तम स्टील्स), हाईटेक सिटी,राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एवं बिल्डरों हेतु नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किसानों की बहुमूल्य जमीन को अर्जेन्सी क्लॉज लगाकर गैर–कानूनी रूप से कौड़ियों के भाव लेकर उन्हें उनके मालिकाना हक से वंचित कर दिया गया है। कई बार बंद, प्रदर्शन, रैली और धरने जैसे आयोजन कर सरकार को चेतावनी दे चुके किसानों का कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकन किसी भी सूरत में अपनी जमीन कंपनियों को नहीं देंगे। पेश है ***आंदोलन की संक्षिप्त रिपोर्ट:***

देश की राजधानी से मुश्किल से 50 कि.मी. की दूरी (जिला कलैक्ट्रेट परिसर, गौतमबुद्ध नगर) पर किसान अपनी जमीन बचाने के लिए लगातार 01 जनवरी 2014 से आमरण अनशन पर बैठें हैं। इन किसानों की उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, अम्बुजा सीमेन्ट, बिरला सीमेन्ट, अंसल बिल्डर विभिन्न संगठनों, पत्रकारों व बुद्धिजीवियों ने आकर समर्थन दिया, मधुरेश, डॉ. सुनीलम, चितरंजन पहुँचे किसान–महापड़ाव पर !!

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला गौतमबुद्ध नगर में अम्बुजा सीमेन्ट, बिरला सीमेन्ट एवं बिल्डरों हेतु एवं नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना विकास प्राधिकरण तथा प्रदेश सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त अंसल बिल्डर (उत्तम स्टील्स), हाईटेक सिटी बिल्डर द्वारा शहरीकरण हेतु एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ((छज्ब्), उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC) आदि संस्थानों के माध्यम से जनपद के किसानों की बहुमूल्य जमीन को अर्जेन्सी क्लॉज लगाकर गैर–कानूनी रूप से कौड़ियों के भाव लेकर उन्हें उनके मालिकाना हक से वंचित कर दिया गया है।

उपरोक्त प्राधिकरणों, निगमों व बिल्डरों द्वारा भूमि लिए जाने के समय किसानों से किये गए वायदों को पूरा किये जाने की मांग को लेकर किसान कई वर्षों से अलग–अलग स्थानों पर आंदोलन करते आ रहे हैं परन्तु अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है जो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है।

अब समय आ गया है कि हम सभी किसान व किसान संघर्ष समितियों को एक होकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए

पूर्ण सफलता मिल जाने तक अब निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी।

किसानों के प्रमुख मुद्दे

1. यू.पी.एस.आई.डी.सी., अंसल बिल्डर (उत्तम स्टील्स), हाईटेक सिटी बिल्डर, यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण से प्रभावित किसानों को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की तर्ज पर बढ़ा हुआ 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा सहित 1400 रु. प्रति वर्गमीटर तक का मुआवजा तुरन्त दिया जाए एवं जिन किसानों ने अपनी जमीन वापस लेने लेतु न्यायालय में याचिका दर्ज की हुई है उन्हें उनकी जमीन वापिस की जाए।
2. उपरोक्त प्राधिकरणों व बिल्डरों द्वारा प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत विकसित भूमि का प्लॉट दिया जाए तथा सैक्टरों में कमर्शियल परपज हेतु दुकान का आवंटन सुनिश्चत किया जाए।
3. जमीन लिये जाने से प्रभावित किसानों के परिवारों के एक–एक सदस्य को उक्त संस्थानों द्वारा रोजगार तुरन्त उपलब्ध कराया जाए।
4. भूमिहीन व गरीबों को 120–120 वर्गमीटर के आवासीय प्लाट दिये जाएं।
5. किसानों की जमीन का बाजार दर से 1 करोड़ प्रति बीघा तक का मुआवजा तय किया जाए।
6. जनपद में जमीन लिए जाने से प्रभावित गांवों व कस्बों का विकास नोएडा व ग्रेटर–नोएडा की तर्ज पर संबंधित संस्थानों द्वारा कराया जाए, जिनमें स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम, पंचायतघर, बारातघर एवं बिजली पानी की समुचित व्यवस्था की जाए।
7. किसानों की आबादियों के प्रकरणों का निस्तारण अतिशीघ्र कर नई आबादी नियमावली तुरन्त लागू की जाए।
8. राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच. 91), दादरी बाईपास के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाया जाए तथा मुख्य रास्तों पर अण्डरपास दिए जायें।
9. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा जमीन लिये जाने के समय किसानों से किये वायदे अनुसार दादरी एवं दादरी क्षेत्र के गांवों को 24 घण्टे बिजली की सुविधा अतिशीघ्र दिलाई जाये।
10. दादरी क्षेत्र में जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाली कैमिकल्स कंपनी पर तुरन्त रोक लगाई जाए।
11. दिल्ली एवं हरियाणा राज्यों की तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन शुरू की जाए तथा विधवा एवं विकलांग पेंशन की दर बढ़ाकर समय से दी जाए।
12. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं एनटीपीसी द्वारा जमीन अधिग्रहण से प्रभावित तथा अंसल एवं हाईटैक सिटी बिल्डरों द्वारा बसाये जा रहे हाईटेक सिटीज के प्लानिंग एरिया के मध्य 1857 ई. की क्रान्ति के ऐतिहासिक शहर दादरी का विकास नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर कराया जाए, खोड़ा कालोनी की तर्ज पर अलग से पैकेज दिया जाए।
13. किसानों को उनकी प्रोपर्टी का मालिकाना हक (ज्पजसम क्ममक) दिलाया जाए, उनकी प्रापर्टी, सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज की जाए जिससे उन्हें पुनर्वास हेतु बैंकों से ेकन आदि की सुविधा सैक्टरों की प्रापर्टी की तरह मिल सके।
14. जिले के कस्बों व सैक्टरों के मार्गों तथा चौराहों के नाम जिले में जन्में महापुरुषों एवं शहीदों के नाम पर रखे जायें। कलैक्ट्रेट परिसर में शहीदों के नाम का स्तम्भ स्थापित किया जाए एवं तहसील स्तर पर शहीद स्मारक बनाये जाएं।
15. प्रदेश सरकार द्वारा नई भूमि अधिग्रहण नीति बनाकर ही भविष्य में किसानों की जमीन ली जाए, जिसमें विधानसभा चुनाव के समय वर्तमान प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार सर्किल रेट का छः गुना मुआवजा 20 प्रतिशत प्लॉट तथा पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन की सभी सुविधायें दी जायें।
16. नया भूमि अधिग्रहण कानून वष्र 2000 से लागू किया जाए और प्राधिकरणों की स्थापना के समय से अधिग्रहण से प्रभावित सभी किसानों को पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन (R&R) की सभी सुविधायें दी जायें।
17. भविष्य में किसानों की जमीन लीज पर ली जाए जिससे किसान का मालिकाना हक सुनिश्चत रह सके।
18. जिले के किसानों के वाहनों को टोल टैक्स फ्री की सुविधा सुनिश्चत की जाए।
19. जिला गौतमबुद्ध नगर के किसानों की सुविधा हेतु ग्रेटर नोएडा में किसान भवन का निर्माण कराया जाए।
20. किसानों पर विभिन्न आंदोलनों में दर्ज किये गये मुकदमें तुरन्त वापय लिये जाएं।

मध्य प्रदेश

मुलताई में शहीद किसान स्मृति सम्मलेन का आयोजन

किसान संघर्ष समिति द्वारा हर साल 12 जनवरी को मुलताई में शहीद किसान स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है. इस साल 16वीं बरसी पर मुलताई गोली कांड में शहीद किसानों के परिवार एवं प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने के लिए देश भर के जन आंदोलनों के साथी, शिक्षाविद, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और आस–पास के गांवों से हजारों किसान मुलताई पहुचें। मुलताई से ***जबर सिंह वर्मा की रिपोर्ट:***

भारत में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 1995 से 2012 के दौरान 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की । मध्यप्रदेश में लगभग 28 हजार किसानों ने आत्महत्याएं की और आत्महत्या करने वाले प्रति पांच किसानों में एक महिला किसान होने का रिकार्ड मध्यप्रदेश के खाते में दर्ज है, जो देश में सर्वाधिक है। भारत में किसानी के संकट के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण हैं. बीते 68 सालों में हुए आन्दोलनों में मीडिया अन्ना आन्दोलन को सबसे व्यापक–जन भागीदारी का अन्दोलन मानता है। यह बात सही है कि इस बीच किसी दूसरे जन आन्दोलन में स्व प्रेरणा से प्रेरित होकर करोड़ों लोग सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन यह भी सच है कि स्थानीय स्तर पर देश में हजारों ऐसे आन्दोलन हो चुके हैं, जिनमें आमजन ने अधिकतम भागीदारी कर ठोस नतीजे निकाले। मध्य प्रदेश के दुरस्त और बेहद पिछड़े आदिवासी बाहुल क्षेत्र मुलताई का किसान आंदोलन इसकी मिसाल है। इस आंदोलन की शुरूआत ही सुखे की मार झेल रहे आम गरीब किसानों की ओर से मुआवजे की मांग को लेकर हुई थी। मुद्दे और संसाधन सब कुछ किसानों का अपना था।

बात इतने में ही खत्म नहीं होती। आंदोलन स्व प्रेरणा से मुलताई तहसील और बैतूल जिले के गांव–गांव और घर–घर पहुंचा। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब आंदोलन में कूदे।

इस आंदोलन के नेता डा. सुनीलम के नेतृत्व में परमंडल गांव में 25 दिसंबर 1997 को पांच हजार लोग जमा होते हैं। किसान संघर्ष समिति बनती है और 25 दिसंबर 1997 को ही 75 हजार किसान मुलताई से पैदल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टरों में सवार होकर 50 किलोमीटर दूर स्थित बैतूल जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। किसानों द्वारा खड़ा किया गया यह शांतिपूर्ण आंदोलन स्वयं में अद्‌भूत–अनोखा था। इस क्षेत्र में ऐसी मिसाल न किसी नेता, जनसंगठन ने पहले पेश की, न ही भविष्य कर पाने कोई उम्मीद है। इसकी वजह है। दिल्ली–भोपाल में मीडिया में हाय–तौबा मचाकर और आधुनिक संसाधनों के उपयोग से लोगों का जमा होना अथवा जमावड़ा एकत्र करना अलग मसला है। मगर, आधुनिकता, टीवी–अखबारी दुनिया से दूर के दुरस्त–दुर्गम क्षेत्रों में बिखरे दलित–मजदूर–छोटे किसानों में अलख जगना अथवा जगाना एक अलग किस्म की चुनौती थी। जिसे मुलताई ने पार किया।

हालांकि, सूखे की मार झेल रहे गरीब किसानों के इस आंदोलन को भी मध्य प्रदेश सरकार ने दमन से कूचला। 12 जनवरी 1997 को मुलताई गोलीकांड इसका उदाहरण है। आंदोलन के अगुआ किसान नेता डा. सुनीलम की हत्या की नीयत से हुई पुलिसिया गोलीबारी में 24 निर्दोष किसानों को आपनी जानें गवांनी पड़ी थी।

मुलताई के इस आंदोलन की तुलना अन्ना आंदोलन से की जाए तो स्पष्ट समझ में आएगा कि यह आंदोलन हर दृष्टि से स्तह पूर्णतः स्वस्पूर्त और जनभागीदारी से था। पांच हजार लोगों ने किसान संघर्ष समिति बनाकर खुद के मुद्दे तय किए और अपने संसाधनों से इनको अमलीजामा पहनाने को काम किया। हर गांव का किसान और हर पार्टी का नेता दलगत राजनीति से उपर उठकर एकजुटता से आंदोलन के साथ था। जबकि, अन्ना आंदोलन का सभी पार्टियों के साथ ही देश के कई जन समूह मुखर विरोध कर रहे थे।

आम आदमी पार्टी ने देश–दुनिया से आर्थिक सहयोग लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ा। इनके जन उम्मीदवारी के प्रयासों को भी मीडिया ने इसे खूब हवा दी। मगर, मुलताई के किसान 15 साल पहले जन उम्मीदवार का चयन कर चुनाव लड़वा चुके हैं। जनता ने न सिर्फ बीजेपी–कांग्रेस के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया, बल्कि खुद के संसाधन भी लगाए और अपने प्रत्याशी को 50 से 60 प्रतिशत मतों से विजयी बनाया। मुलताई से दो बार विधायक बने डा. सुनीलम इसका उदाहरण हैं। मुलताई के किसानों ने आंदोलन से लेकर चुनाव लड़वाने तक को घर–घर से अनाज–पैसा एकत्र किया और श्रमदान किया। यहां न देश का कोई बड़ा नेता किसानों के समर्थन में आया, न किसी ने बाहर से आकर पैसा लुटाया। गरीब किसानों द्वारा जनआंदोलन और मत के जरिए सत्ता–धन और बाहुबल को दी गई यह बड़ी चुनौती थी। यह बात अलग है कि दिल्ली या भोपाल की चकाचौंध में खोई मीडिया इस तरह के आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं देती या फिर बिसरा देती है।

आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा मीडिया तब सत्ता के प्रभाव में ही सही, मगर मुलताई आंदोलन के खिलाफ खड़ा था। पूरी चुनाव रिर्पोटिंग में जन उम्मीदवार के जीतने की संभावना तो दूर, जमानत जब्त होने की खबरें दिखाना तक किसी ने गवांरा नहीं समझा। यह स्थिति तब थी जब जन उम्मीदवार 50 से 60 फीसदी मतों से जीतकर आए। यह उपेक्षा हमारे चौथे स्तंभ के मन में शहर–गांव के बीच उपजे भेद को दर्शाता है। शहरों की छोटी से छोटी खबरों को संजीदगी से सुर्खियां बनाने वाला हमारा मीडिया गांव–देहात के बड़े–बड़े जनआंदोलनों–मुद्दों की कैसे उपेक्षा कर देता है, मुलताई किसान आंदोलन इसकी बानगी है।

दिल्ली में 27 फीसदी वोट लाने वाली आम आदमी पार्टी को मीडिया ने किस कदर सिर माथे बैठाया, यह सबने देखा। इसलिए मुलताई के किसान आज भी गर्व से कहने में गुरेज नहीं करते कि दिल्ली में आज जो प्रयोग हुआ, उसे वह पहले ही कर चुके हैं। यह बात अलग है कि किसानों में जागरूकता का अभाव, रोजमर्रा की उठापटक वाली जिंदगी से निकलकर संसाधन जुटाने की सीमित समय सीमा, किसी संगठन की राष्ट्रीय उपस्थिति और मीडिया के ब्लैक आउट के कारण राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या, प्रदेश स्तर पर भी मुलताई किसान आंदोलन की वह ताकत दिखलाई नहीं पड़ी, जो अन्ना आंदोलन की देशभर में दिखी। मगर, बड़ी ताकत रखने वाले गांव के किसानों को किसी व्यक्ति–दल के पीछे लगने की बजाय खुद संगठित होना होगा। डा. सुनीलम जैसे नेता पैदा करने होंगे।

आज देश के किसानों के आगे लूट पर आधारित वर्तमान व्यवस्था को बदलने की चुनौती है। देश के जनसंगठन, किसान संगठनों के साथ ही आम ग्रामीण किसानों को इस चुनौती से निपटने को एकजुट होना होगा। मुलताई के किसानों का यह प्रयास जारी है। किसान संघर्ष समिति 15 सालों से शहीद किसानों को याद करने के साथ ही किसान पंचायतें करती आ रही हैं। हर साल देशभर के किसान नेता यहां जुटते हैं और किसान घोषणा पत्र तैयार होता है।

16वें शहीद किसान स्मृति सम्मेलन में मुलताई घोषणा–पत्र 2014 जारी

घोषणा–पत्र 2014

भारत में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 1995 से 2012 के दौरान 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की । मध्यप्रदेश में लगभग 28 हजार किसानों ने आत्महत्याएं की और आत्महत्या करने वाले प्रति पांच किसानों में एक महिला किसान होने का रिकार्ड मध्यप्रदेश के खाते में दर्ज है, जो देश में सर्वाधिक है। भारत में किसानी के संकट के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण हैं–

1. खेती किसानी में लागत अधिक लगना और इसके अनुपात में मूल्य कम प्राप्त होना।
2. कृषि ऋण पर बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा–21(क), जो मूलधन से अधिक ब्याज न लेने के प्रावधान को बाधित करती है।
3. सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी को निरंतर घटाया जाना।

देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र को विकास प्रक्रिया के केन्द्र में रखकर उद्योगों को उसका सहायक बनाया जायेगा तो राष्ट्र कृषि संकट से उबर सकता है। विडम्बना है कि एक सोची–समझी नीति के तहत खेती किसानी में लागत निरंतर बढ़ाई जा रही है और श्रम मूल्य को घटाया जा रहा है। इस प्रकार किसान को कर्ज लेकर खेती करने के लिए मजबूर कर उससे चक्रवृद्धि ब्याज वसूल कर उसे कर्ज के जाल में फंसा दिया जाता है। भुखमरी और गरीबी के चलते किसान कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहता है। कर्ज लेने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में अदायगी राशि दो चार और सौ गुनी हो जाती है, जिसे लाचार किसान अपना खेत खलियान बेचकर भी नहीं चुका सकता। अंततः अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है।

किसानी के संकट के मूल में बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा–21(क) है, जो 1918 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा साहूकारों पर अंकुश लगाने के लिए बनाये गये अति ब्याज उधार अधिनियम को बाधित करता है, जिसके अनुसार किसी भी हालत में ब्याज की राशि मूलधन से अधिक नहीं वसूली जा सकती। अतः किसानों को राहत देने बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा–21(क) को भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए।

1950–51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 53.1 प्रतिशत थी जो वर्ष 2012–13 में घटकर मात्र 13 प्रतिशत रह गई । योजना आयोग के दृष्टिपत्र के अनुसार सन् 2020 में सकल घेरलू उत्पाद में खेती किसानी के योगदान को घटाकर 6 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2013–14 के बजट में किसान को कर्ज देने के लिए 7 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रीय बजट के 42 प्रतिशत के बराबर है। पूंजी केन्द्रित कार्पोरेट खेती को बढ़ावा दे रही भारत सरकार ने किसान को बैंक का कर्ज पटाने वाला बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया है। घाटे का सौदा बना दी गई खेती से अब तक 1.5 करोड़ किसान पलायन कर चुके हैं और प्रतिदिन खेती छोड़ने वाले किसानों की संख्या 2 हजार से अधिक हो गई है।

सरकार खाद्यान्न के समर्थन मूल्य को जान बूझकर घटाकर किसानी को घाटे का सौदा बनाने पर आमादा है। अर्जुन सेनगुप्ता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005–06 में भारत में किसान की औसत प्रतिदिन आमदनी 14 रूपये मात्र थी। किसान को उड़ीसा में 6 रूपये और मध्यप्रदेश में 9 रूपये प्रतिदिन आमदनी होती है। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि भारत के चालीस फीसदी किसान अब खेती छोड़ने को तत्पर हैं क्योंकि किसान को मिलने वाली खाद्यान्न की कीमत में 80 फीसदी लागत और मात्र 20 फीसदी उसका श्रम मूल्य होता है।

वर्ष 1960 में 10 ग्राम सोने का मूल्य 111 रूपये और एक क्विंटल गेहूं का दाम 41 रूपये था। आज 10 ग्राम सोने का मूल्य लगभग 30,000 रूपये और एक क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,400 रूपये है। इसी प्रकार वर्ष 1960 में प्रथम श्रेणी शासकीय सेवक का जो वेतन था उसमें 6 क्विंटल गेहूं मिलता था। आज प्रथम श्रेणी शासकीय सेवक के एक माह के वेतन में 25 क्विंटल गेहूं मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार किसानों के श्रम मूल्य की गणना अन्यायपूर्ण ढंग से करके उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय में एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है, जिसने जीवन में कभी हल पकड़ा हो। भारत में कृषि की नीतियां बनाने वाला वर्ग किसानी की वास्तविकता से अनभिज्ञ है और वह एग्री–बिजनेस को बढ़ावा देने में लगा है। नतीजा यह है कि किसान दिन–ब–दिन कंगाल हो रहा है और किसान के साथ धंधा करने वाला व्यापारी और कम्पनियां मालामाल हो रही हैं। सरकार कार्पोरेट खेती को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है और देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाले इस व्यवसाय से लोगों को बेदखल करने पर उतारू है। यही किसानी की सबसे बड़ी त्रासदी है।

किसान के हाथ से जमीन निकलती जा रही है और वह भूमिहीन खेत मजदूर बनता जा रहा है। सरकार की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 प्रतिशत आबादी का देश की कुल खेतिहर भूमि के केवल 5 प्रतिशत पर अधिकार है जबकि 10 प्रतिशत जनसंख्या का 55 प्रतिशत जमीन पर नियंत्रण है। सरकारी नीतियों के चलते समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है। गरीब और गरीब हो कर शोषण का शिकार बन रहा है तथा अमीर की दौलत निरंतर बढ़ रही है।

कृषि की घेराबन्दी से उपजी परिस्थिति–

- ऋणग्रस्त किसानों द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्यायें
- जबरिया भूमि अधिग्रहण
- भूमि कार्पारेटरों के हाथ
- भ्रष्टाचार की अन्धड़
- कृषि क्षेत्र में मजदूर का अभाव
- विचार शून्यता की स्थिति
- विकल्प विहीनता की स्थिति
- परिवार का विखण्डन
- यौन अराजकता
- छिनैती में भारी वृद्धि
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का बढ़ता बाजारीकरण
- भूख, कुपोषण, बीमारी में वृद्धि
- बढ़ती भ्रूण हत्या, महिला हत्या
- जन शक्ति में बिखराव
- उत्पीड़ित वर्गों में बढ़ता मनमुटाव
- सामाजिक तनाव में वृद्धि
- वर्ग संगठनों में गिरावट
- विस्थापन, पलायन, पुनर्वास का संकट
- हत्या और आत्महत्या में वृद्धि
- दरिद्रीकरण में फैलाव
- कर्ज का मकड़जाल और नागफाश
- चक्रव्यूह में किसान
- पेयजल, सिंचाई, खाद, बीज का संकट
- आवासीय भूमि का संकट
- राजनीति के केन्द्र से किसान की बेदखली
- जी.डी.पी. में किसानी का घटता योगदान
- किसान विरोधी शासन नीति में वृद्धि
- किसान विरोधी कानून में वृद्धि
- किसान विरोधी शासकीय योजनाएं
- किसानी की सुविधाओं में कटौती
- ऋण, विपणन, उपकरण की दिक्कतें
- कृषि का उत्तरोत्तर अलाभकारी बनना
- कृषि लागत में वृद्धि, मूल्य में कमी
- किसान पुत्रों की कृषि में बढ़ती अरूचि
- कृषि क्षेत्र की आन्तरिक उपनिवेश में तब्दीली
- शादी, ब्याह, दवा, पढ़ाई के खर्च में वृद्धि
- नौकरशाही का खुला खेल और ताण्डव
- आरक्षण द्वारा वर्ग चेतना का विलुप्तिकरण
- नारीवाद, दलितवाद, पिछड़ावाद, पर्यावरण वाद द्वारा योजनाबद्ध विकास में बाधा और सामाजिक विखंडनय
- साम्राज्यवाद की आपसी एकता में वृद्धि
- भारतीय बड़ी पूंजी और साम्राज्यवाद के बीच नापाक गठजोड़।

किसानी को संकट से मुक्त करने के लिए किसान संगठनों का यह घोषणा–पत्र दावा करता है कि किसानों के लिए....

- कृषि आपदा कोष का गठन किया जाये
- भूमि सुधार कानून और भूमि हद बन्दी कानून लागू किया जाये
- किसानों को भूमि पास बुक उपलब्ध कराया जाये
- अतिरिक्त भूमि पर सहकारी कृषि की जाय
- खेत मजदूरों को रोजगार गारन्टी सुनिश्चित किया जाये
- कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक पूंजी का प्रवेश सुनिश्चित किया जाये
- समुचित जल प्रबंधन, जल संचयन, जल वितरण द्वारा अनावृष्टि, अति वृष्टि से निजात दिलाया जाये
- कृषि ऋण की दर 3 प्रतिशत से कम हो
- कृषि ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो और ब्याज की कुल राशि मूलधन से अधिक न हो
- कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर रोक लगे
- किसान की न्यूनतम आय की गारंटी हो
- कृषि क्षेत्र का प्रबंधन किसान कल्याण केन्द्रित हो, न कि

बाजार केन्द्रित

- फसल बीमा लागू हो
- कृषि उपज का मूल्य लाभकारी हो
- कृषि पर आधारित उद्योग लगें
- बीज पर विदेशी घुसपैठ बन्द हो
- वन संरक्षण अधिनियम बनाने में आदिवासी जनता की भागीदारी हो
- कृषि क्षेत्र में भण्डारण, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन की व्यवस्था हो
- पशुपालन को राजकीय सहायता उपलब्ध हो
- गन्ना किसानों का बकाया सूद के साथ दिया जाये
- हर प्रखण्ड में बीज, खाद, ट्रैक्टर, पम्प, हारवेस्टर मिस्त्री की उपलब्धता हो
- किसान को कुशल कारीगर का दर्जा देकर कृषि को लाभकारी बनाया जाए
- स्वयं के खेत में मजदूरी को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल किया जाये
- संसद में किसान वर्ग परिलक्षित होना चाहिए
- लैंगिक, जातीय, धार्मिक, नस्लीय भेद–भाव समाप्त हो
- ठेकेदारी प्रथा बन्द हो
- ग्रामीण सर्वहारा को तकनीकी ज्ञान दिया जाए ताकि वह कुशल प्रशिक्षित कारीगर बन सके
- रोजगार गारन्टी मुकम्मल हो
- बटाईदारी का निबंधन हो
- पंचायतों को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की सारी शक्तियां उपलब्ध हों।

किसानी के संकट से देश को उबारने के लिए तत्काल यह कदम उठाये जाना चाहिये –

1. खाद्यान्न का समर्थन मूल्य इतना तय किया जाय कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बढ़कर 45 फीसदी हो जाये।
2. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान की न्यूनतम आमदनी छठे वेतन आयोग में निर्धारित तृतीय श्रेणी सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर हो जाये।
3. अधिक लागत और कम मूल्य की चक्की में पिसते किसान को राहत देने खेती किसानी की समस्त लागत शासन द्वारा लगाई जाए तथा किसान को संगठित वर्ग के समतुल्य श्रम मूल्य दिया जाए।
4. बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा–21(क) को भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त किया जाये।
5. कृषि क्षेत्र को विकास प्रक्रिया के केन्द्र में रखकर उसमें सार्वजनिक विनिवेश बढ़ाया जाये और उद्योगों की भूमिका कृषि कार्यों में सहायक के रूप में रखी जाये।
6. खेती किसानी में लागत को घटाने के लिए रसायन मुक्त जैविकध्प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाये तथा एग्री बिजनेस को बढ़ावा देने की नीति का परित्याग किया जाए।

किसानी को खत्म करके कृषि कार्य को कार्पोरेट घरानों को हस्तांतरित करने की सभी राजनीतिक पार्टियों की नीति की मुलताई में सम्पन्न यह किसान सम्मेलन भर्त्सना करता है और संविधान विरोधी होने के कारण इस पर तत्काल रोक लगाने की संविधान के रक्षकों से अपील करता है।

महानवासियों ने शुरु किया वन सत्याग्रह

महान संघर्ष समिति का ऐलान : एस्सार महान छोड़ो !

गुजरी 27 फरवरी 2014 को मध्यप्रेदश के सिंगरौली स्थित महान क्षेत्र के 12–14 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने महान जंगल में प्रस्तावित खदान के लिए पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोईली द्वारा एस्सार कम्पनी को दिए गए दूसरे चरण के क्लियरेंस के विरोध में अमिलिया में महान जंगल बचाओ जनसम्मेलन आयोजित किया। महान संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि जब तक दूसरे चरण का क्लियरेंस तुरंत प्रभाव से रद्द नहीं किया जाता तबतक वन सत्याग्रह जारी रहेगा।
पेश है ***महान संघर्ष समिति के वन सत्याग्रह की रिपोर्टः***

पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोईली द्वारा महान कोल लिमिटेड को दिए गए दूसरे चरण के क्लियरेंस के बाद आयोजित इस जनसम्मेलन में ग्रामीणों ने इस क्लियरेंस को अमान्य करार दिया। उन्होंने उस विशेष ग्राम सभा में वनाधिकार कानून पर पारित प्रस्ताव के फर्जी होने के सबूत दिए जिसके आधार पर दूसरे चरण का क्लियरेंस दिया गया है।

2012 में महान कोल ब्लॉक को 36 शर्तों के साथ पहले चरण का क्लियरेंस दिया गया था, जिसमें वनाधिकार

कानून को लागू करवाना भी शामिल था। इसमें गांवों में निष्पक्ष और स्वतंत्र ग्राम सभा का आयोजन करवाना था जहां ग्रामीण यह निर्णय लेते कि उन्हें खदान चाहिए या नहीं। 6 मार्च 2013 को अमिलिया गांव में वनाधिकार कानून को लेकर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें 184 लोगों ने भाग लिया था लेकिन प्रस्ताव पर 1,125 लोगों के हस्ताक्षर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इनमें ज्यादातर फर्जी हैं। इन हस्ताक्षरकर्ताओं में 9 लोग सालों पहले मर चुके हैं। इसके अलावा अमिलिया के 27 ग्रामीणों ने लिखित गवाही दी है कि वे लोग ग्राम सभा में उपस्थित नहीं थे लेकिन उनके भी हस्ताक्षर प्रस्ताव में हैं।

महान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता जगनारायण साह ने लगातार इस मामले में कलेक्टर तथा केन्द्रीय जनजातीय मंत्री को संलग्न करने के प्रयास के बाद फर्जी ग्राम सभा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है। जनसम्मेलन को संबोधित करते हुए जगनारायण साह ने कहा कि, "विरोधी पक्ष के द्वारा जान से मारने और बदनाम करने की धमकी के बावजूद हमलोग ग्राम सभा की वैधता और इसके आधार पर दिए गए पर्यावरण क्लियरेंस के खिलाफ एफआईआर करने को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं"। महान संघर्ष समिति के सदस्य और उनके बढ़ते समर्थक खदान का जोरदार विरोध कर रहे हैं।

जनसम्मेलन में ग्रामीणों और महान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत को दिखाते हुए एकजुट होकर 'एस्सार महान छोड़ो' का संदेश दिया। महान में खनन से जंगल खत्म हो जायेंगे जिसमें हजारों लोगों की जीविका के साथ–साथ कई तरह के जानवरों और 164 पौधों की प्रजातियां का निवास स्थल है।

महान जंगल में चल रहे जमीनी लड़ाई को दूसरे संगठनों से भी काफी समर्थन मिल रहा है। महान संघर्ष समिति की कार्यकर्ता तथा ग्रीनपीस की सीनियर अभियानकर्ता प्रिया पिल्लई ने जनसम्मेलन में कहा कि, "इस आंदोलन को सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से पूरे भारत में लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है। साथ ही, जनसंघर्ष मोर्चा, आदिवासी मुक्ति संगठन, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जैसे जनआंदोलन के नेताओं द्वारा भी महान की लड़ाई को समर्थन मिल रहा है। शहरी तथा ग्रामीण भारत की यह एकता बेमिसाल है"।

22 जनवरी 2014 को महान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने शहरी युवाओं के साथ मिलकर एस्सार के मुंबई स्थित मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था, जहां महान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय के सामने धरना दिया था वहीं ग्रीनपीस कार्यकर्ताओं ने एस्सार मुख्यालय पर बैनर लहरा कर दुनिया को बताया था कि एस्सार जंगलों के साथ क्या करती है।

जनसम्मेलन को सामाजिक कार्यकर्ता शमीम मोदी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि, "गरीबों और आम आदमी की संख्या और अन्याय के प्रति लड़ने की इच्छाशक्ति ही इस लड़ाई की ताकत है। सबको एक होकर लड़ना होगा। अपने देश में सारी नीतियां बाजार तय कर रही हैं। इसी बाजारवादी व्यवस्था के दबाव में महान और दूसरे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया जा रहा है। सारी सरकारों के पीछे कॉर्पोरेट शक्तियां काम कर रही हैं। असली सरकार कॉर्पोरेट चला रहे हैं। आज जरुरत है ऐसे नेताओं की जो जनता की तरफ से आवाज उठा सके"।

इस बात के सबूत हैं कि महान कोल ब्लॉक को अपारदर्शी तरीके से आवंटित किया गया। खुद मोईली के पूर्ववर्ती मंत्रियों ने महान में खदान का विरोध किया था। इन सबके बावजूद 25 फरवरी 2014 को अंतर–मंत्रालयी समूह जो खदान शुरु न होने वाले कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने पर विचार कर रही है ने महान कोल ब्लॉक को दूसरे चरण के क्लियरेंस के आधार पर क्लिन चिट दे दिया है।

महान संघर्ष समिति की मांग है कि दूसरे चरण का क्लियरेंस तुरंत प्रभाव से हटाया जाय। जबतक जंगल में प्रस्तावित खदान को वापस नहीं लिया जाता है तबतक वन सत्याग्रह जारी रहेगा।

लाठी एवं बंदूक के साये में जनसुनवाई की नौटंकी

चुटका परमाणु विद्युत परियोजना पर 17 फरवरी 2014 को मानेगांव, जिला–मण्डला (मध्य प्रदेश) में बंदूक के साये में जनसुनवाई की नौटंकी लिखी गई. प्रशासन इस तीसरी जनसुनवाई को किसी भी हल में फेल नहीं देना चाहता था इसलिए सुरक्षा और नाकेबंदी ऐसी कि मानेगांव जाने वाले हर रास्ते पर सन्नाटा. स्पेशल फोर्स के फ्लैगमार्च के कारण गावों में कर्फ्यू जैसे हालात. हाईस्कूल में आयोजित जनसुनवाई में प्रशासन ने अपने समर्थकों को एक दिन पहले ही लाकर बिठा दिया था. जनसुनवाई स्थल से मात्र 500 मीटर दूर परियोजना के विरोध में धरने पर बैठे 5000 ग्रीमीणों को वहीं रोके रखा गया. उनके सिर्फ 5 प्रतिनिधियों को जनसुनवाई में जाने दिया गया हैं उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 24 मई और 31 जुलाई, 2013 को भी शासन द्वारा यह प्रयास किये जा चुके है किन्तु इस परियोजना के प्रभावितों एवं इनके समर्थक समूहों द्वारा किये गये जबरदस्त प्रतिरोध के चलते उक्त जन–सुनवाईयों को निरस्त करना पड़ा था। पेश हैं **चुटका परमाणु संघर्ष समिति की प्रेस विज्ञप्ति–**

केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना के जबरन क्रियान्वयन के खिलाफ और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन व संविधान के खुल्लमखुल्ला उल्लंघन के विरोध में 17 फरवरी 2014 को भोपाल व प्रदेश के अन्य जिलों में अनेक राजनीतिक दलों और जन–संगठनों ने प्रदेश–व्यापी काला–दिवस मनाया। भोपाल में इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफिस चौराहा पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया और राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई। याचिका को स्वीकार करते हुए आयोग ने इसकी सुनवाई के लिए 'डिविजन बेंच' के गठन का निर्देश दिया।

ज्ञातव्य हो कि 17 फरवरी 2014 को प्रदेश के मंडला जिले में चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तीसरी बार 'जन–सुनवाई' करवाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले साल दो बार 'जन–सुनवाई' करवाने का प्रयास किया गया था लेकिन व्यापक विरोध को देखते हुए ऐन वक्त पर सरकार को दोनों ही बार सुनवाई रद्द करनी पड़ी।

लेकिन इस बार विरोध को कुचलने के लिए सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है । चुटका से खबर मिल रही है कि सैंकड़ो की तादात में हथियारबंद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और मंडला–जबलपुर मार्ग, जहां से हो कर चुटका पहुंचा जा सकता है, उस रास्ते पर पूरी बैरीकेडिंग कर लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। इस तरह देश और प्रदेश की सरकारें मिलकर बंदूक की नोक पर जन–सुनवाई करवाने का प्रयास कर रही हैं। यह लोकतंत्र और जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

इन संगठनों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अपील की कि प्रदेश की जनता की इच्छा और परमाणु ऊर्जा के विनाशकारी परिणामों के देखते हुए चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना को तत्काल रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। वक्ताओं ने इस तथ्य को सामने रखा कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान समेत अनेक विकसित देशों ने वहां की जनता की लोकतांत्रिक मांग का सम्मान करते हुए अपने देशों में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर रोक लगाया है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में केंद्र व राज्य सरकारें जनता की लोकतांत्रिक मांगों की और साथ ही परमाणु ऊर्जा के जन–जीवन व पर्यावरण पर पड़ने वाले घातक परिणामों की अनदेखी कर रही हैं।

इन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुटका परमाणु परियोजना असल में एक और भोपाल गैस कांड को दोहराने वाला कदम है। गैस कांड की विभीषिका ने यह साबित कर दिया था कि भारत की सरकारें, चाहे वे केंद्र की हों या राज्य की, मुनाफाखोर कारपोरेट हितों के लिए जनता के हितों की सोची–समझी अनदेखी कर रही हैं। देश का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जनता के लिए नहीं बल्कि परमाणु ऊर्जा से जुड़ी देसी और विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए चलाया जा रहा है।

कार्यकर्ताओं ने भोपाल की जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर भोपाल ने चुटका परमाणु परियोजना के खिलाफ आज आवाज नहीं उठाई गई तो कल इसकी विनाशलीला से बचना नामुमकिन होगा।

परियोजना से प्रभावित गांव के निवासियों की ओर से इस परियोजना के विरोध में निम्न आपत्ति के साथ परियोजना पर तत्काल रोक लगाने का हम आह्वान करते हैं।

1. परियोजना से प्रभावित ग्रामवासी बरगी बांध परियोजना से एक बार विस्थापित हो चुके हैं। मध्यप्रदेश राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति–2002 में बार–बार विस्थापन पर रोक लगाने संबंधी प्रावधान है। चूंकि ग्रामवासी एक बार पहले विस्थापित हो चुके हैं और यदि यह परमाणु विद्युत परियोजना लगाई जाती है तो दोबारा लोगों का विस्थापन होगा जो कि पुनर्वास नीति के प्रावधानों का उल्लंघन है।
2. पुनर्वास नीति में यह प्रावधान है कि प्रभावित होने वाले व्यक्ति को परियोजना निर्माण के पूर्व पुनर्वास स्थल बताया जायेगा। उनकी सन्तुष्टी व सहमति के पश्चात ही

परियोजना कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा। परन्तु प्रभावितों को अभी तक परियोजना प्रबंधन द्वारा पुनर्वास स्थल नहीं बताया गया है। इसके बावजूद जनसुनवाई आयोजित करना व परियोजना कार्य को आगे बढ़ाना पुनर्वास नीति के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है।

3. परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी गांव संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत हैं। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम–1996 (पेसा कानून) में विस्थापन के पूर्व ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है। चुटका, कुण्डा और टाटीघाट की ग्रामसभाओं ने सर्वसम्मति से इस परियोजना का विरोध कर लिखित आपत्ति लगाई है अतः यह जन सुनवाई संवैधानिक प्रावधानों और पेसा कानून का उल्लंघन करके आयोजित की जा रही है।

4. परमाणु संयंत्र में लगभग 7 करोड़ 25 लाख 76 हजार घनमीटर पानी प्रतिवर्ष नर्मदा की जलधारा से लिया जावेगा जो नदी में वापस नहीं होगा। इससे नर्मदा नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांव जलाभाव से प्रभावित होंगे। मानव जीवन के लिए बिजली से अधिक उपयोगी पानी है। नर्मदा नदी में पानी के घट जाने से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होगा, अतः परियोजना जनहित विरोधी है।

5. संयंत्र को ठण्डा करके जो पानी वापस बरगी जलाशय में छोड़ा जावेगा वह रेडियोधर्मी विकिरण युक्त होगा। रेडियोधर्मी पानी से जलाशय की मछलियां और वनस्पति प्रदूषित होंगे। उन्हें खाने वाले लोगों को केंसर, विकलांगता और अन्य बीमारियों का खतरा रहेगा। विकिरण से प्रदूषित नर्मदा जल पीने और नदी की मछलियों को खाने वालों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी।

6. परियोजना स्थल के बहुत दूर तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगने से हजारों मछुआरों की आजीविका का संकट उत्पन्न होगा। अतः यह परियोजना असंख्य लोगों के लिए संविधान के अनुच्छेद–21 में प्रदत्त इज्जत से जीने के अधिकार का उल्लंघन करेगी।

7. प्रभावित गांववासियों ने अपने कुछ प्रतिनिधियों को रावतभाटा एवं अन्य परमाणु संयंत्र का भ्रमण करने के लिए भेजा था, जिससे पता चला कि संयंत्र के आसपास 12 किलोमीटर की परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। परियोजना से 35 कि.मी. तक की परिधि में केंसर, विकलांगता, नपुंसकता एवं पशुओं में गंभीर बीमारियां पाई गई। इस अनुभव के बाद चुटका परमाणु संयंत्र से होने वाली क्षति को रोकने परियोजना को रद्द किया जाना चाहिए।

8. संयंत्र से निकलने वाली रेडियोधर्मी वाष्प का आसपास के 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैलाव होगा। बरसात के साथ वह खेतों में गिरेगा। वहां उगने वाली फसल और चारा रेडियोधर्मी हो जावेंगे। उसे खाने वाले मनुष्य और पशु बीमार होंगे। इस प्रकार परियोजना लोकस्वास्थ्य और पर्यावरण विरोधी होने के कारण रद्द किये जाने योग्य है।

9. परमाणु वैज्ञानिकों, समाचार–पत्र पत्रिकाओं एवं अध्ययनों से पता चला है कि परमाणु संयंत्र से निकलने वाला रेडियोधर्मी कचड़े का निस्तारण करने की सुरक्षित विधि विज्ञान के पास नहीं है। ऐसी दशा में 2.4 लाख वर्ष तक वह रेडियोधर्मी कचड़ा जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता रहेगा, अतः इस दृष्टि से परियोजना रद्द की जानी चाहिए।

10. सामान्य अनुभव है कि विद्युत परियोजनाओं के कारण आसपास के जंगल और जैव–विविधता नष्ट हो जाते हैं। चुटका के आसपास घने जंगल हैं जो नष्ट हो जावेंगे और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपायी असंभव है, अतः परियोजना रद्द की जानी चाहिए।

11. आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम.आई.), भोपाल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के भूकम्प संवेदी क्षेत्रों की सूची दी गई है। तद्नुसार मण्डला जिले की टिकरिया बस्ती के आसपास का क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से अतिसंवेदनशील बताया गया है। नीरी, नागपुर द्वारा चुटका मध्यप्रदेश परमाणु परियोजना पर तैयार पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट में इस तथ्य को छुपाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है अतः रिपोर्ट संदिग्ध है। वर्ष 1997 में नर्मदा किनारे के इस क्षेत्र में 6.4 रेक्टर स्केल का विनाशकारी भूकम्प आ चुका है ऐसी दशा में यहां परमाणु संयंत्र की स्थापना घातक है।

12. ऐसा बताया जा रहा है कि भूकम्प संवेदी क्षेत्र में 7 रेक्टर स्केल का झटका सहने की क्षमता युक्त ढांचा तैयार किया जावेगा। यदि ऐसा होता है तो भी संयंत्र को संचालित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटर प्रणाली भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त होगी और संयंत्र को ठण्डा करने के लिए स्थापित प्रणाली फेल हो जावेगी जैसा कि फुकुशिमा (जापान) में देखा गया है। भूकम्प संवेदी क्षेत्र में प्रस्तावित चुटका परमाणु संयंत्र में भी भारी दुर्घटना अवश्यम्भावी है, ऐसी दशा में जबलपुर, सिवनी

तथा मण्डला जिले की बहुत बड़ी आबादी परमाणु विकिरण का शिकार हो जावेगी और बाद में अनेक वर्षों तक पर्यावरण में इसका दुष्प्रभाव बना रहेगा।

13. 700ग2 मेगावाट के चुटका में प्रस्तावित परमाणु परियोजना के डिजाइन का संयंत्र भारत में कहीं भी नहीं बना है और यह केनेडा और अमेरिका द्वारा भारत में निर्मित बहुत छोटे से संयंत्र का बड़ा रूप है। चूंकि इतना बड़ा संयंत्र प्रायोगिक तौर पर पहली बार निर्मित हो रहा है, इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। लोग इस खतरे को सहने के लिए तैयार नहीं है।

14. पूरे विश्व में अब परमाणु विद्युत परियोजनाएं बन्द की जा रही हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए विनाशकारी हैं। वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जब दुनिया कदम बढ़ा रही है तो भारत में परमाणु विद्युत संयंत्र कायम करना हास्यास्पद है।

15. जिस समय चुटका परियोजना को योजना आयोग से मंजूरी मिली थी तब सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना महंगा होता था, आज स्थिति बदल गई है। अब सौर ऊर्जा परमाणु विद्युत से सस्ती पड़ती है। वर्तमान कीमतों पर वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु ऊर्जा घातक, महंगी, स्वावलम्बन विरोधी और पर्यावरण विनाशक होने के कारण अन्य ऊर्जा स्त्रोतों से नुकसानप्रद है।

चुटका परमाणु संघर्ष समिति के साथ एकजुटता से संघर्षरत् जन संगठन, जन संघर्ष मोर्चा, म.प्र., भारतीय कम्पयुनिष्ट पार्टी, म.प्र., गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना महासभाय भारत की कम्युनिस्ट पार्टी– मार्क्सवादी– लेनिनवादी, म.प्र. , पीपुल्स इनीशिएटिव अगेन्स्ट न्यूक्लियर पावर, आल इंडिया स्टूडेन्ट फेडरेशन, आल इंडिया यूथ फेडरेशन, म.प्र., क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा, म.प्र., अखिल भारतीय क्रांतिकारी विद्यार्थी संगठन, म.प्र., इंडिया अगेन्स्ट करप्शन, बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघय नेताजी सुभाष फाउन्डेशन, म.प्र इकाई, आजादी बचाओ आन्दोलन, भारत जन आन्दोलनय त्रिवेणी परिषद, नागरिक अधिकार मंचय जन पहल, म.प्र. आदि है।

विजय सेन (09981773205) *मीरा बाई* *दयाल सिंह पुन्दे (09691375233)* *नवरतन दुबे*

चुटका के आदिवासियों ने भोपाल तथा दिल्ली में परमाणु प्लांट के खिलाफ उठाई आवाज

पिछले महीने मध्य प्रदेश सरकार ने चुटका परमाणु प्लांट के व्यापक विरोध को दर किनार करते हुए पर्यावरणीय जन सुनवाई को बंदूक की नोक पर सफल करार दिया है। ज्ञात रहे कि व्यापक विरोध के कारण 24 मई, एवं 31 जुलाई, 2013 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर द्वारा आयोजित पर्यावरणीय सुनवाई स्थगित करनी पड़ी थी। इस बार शासन द्वारा भारी पुलिस बल के साये में जन–सुनवाई आयोजित करवाई गई। इस फर्जी जनसुनवाई के विरोध में स्थानीय समुदाय ने भोपाल व दिल्ली में अपना विरोध दर्ज कराया तथा भारी मात्रा में लोगों से 03 मार्च, 2014 को भोपाल एवं 04 मार्च, 2014 को दिल्ली में जंतर मंतर पर परमाणु ऊर्जा के खिलाफ जन संसद में शरीक होने की अपील की।

03 मार्च, 2014 को भोपाल में चुटका परमाणु परियोजना की स्थापना के खिलाफ रैली तथा मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को ज्ञापन

कार्यक्रम स्थलः यादगारे शाहजहानी पार्क, भोपाल, मध्य प्रदेश

04 मार्च, 2014 को दिल्ली में जंतर–मंतर पर राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के खिलाफ जन–संसद के बाद राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ज्ञापन

कार्यक्रम स्थलः जंतर–मंतर, नई दिल्ली

मध्य प्रदेश का मण्डला जिला संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत वर्गीकृत है, जहां पंचायत (अनु. क्षेत्रों के लिए विस्तार) कानून, पेसा प्रभावशील है। मण्डला जिले में नारायणगंज विकास खण्ड के तहत चुटका ग्राम में चुटका मध्य प्रदेश परमाणु परियोजना प्रस्तावित की गई है। पांचवीं अनुसूची वाले ग्राम टाटीघाट, चुटका, कुण्डा, पाठा, पिण्डरई, सिंगोधा, झांझनगर एवं मानेगांव विकासखण्ड नारायणगंज, जिला मण्डला, म.प्र. की ग्रामसभा द्वारा परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी प्रकार पिपरिया, पीपाटोला एवं धूमा विकासखण्ड घंसौर, जिला सिवनी, म.प्र. की ग्रामसभा द्वारा परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया है। मानिकसराय, लालपुर एवं सांगवा वि.ख. बीजाडांडी, जिला मण्डला, म.प्र. के पंचायत द्वारा परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया है।

नेतरहाट फायरिंग रेंज के खिलाफ सुलगती आदिवासी जनचेतना : नेतरहाट में संघर्ष के इक्कीस साल

देश की सुरक्षा के लिए आदिवासी सिर्फ सेना में ही अपनी जानें नहीं देते, उनकी जमीनें भी राष्ट्र की सुरक्षा की भेंट चढ़ जाती हैं, जबकि इस राष्ट्र में न तो उनकी आवाज है और न ही पहचान। नेतरहाट के आदिवासी पिछले इक्कीस साल से राष्ट्रभक्ति के नाम पर अपनी जीविका का सौदा करने के खिलाफ संघर्षरत हैं और नक्सलवाद से निजात दिलाने के नाम पर एक बार फिर उनकी जमीन फायरिंग रेंज के लिए छीनने की योजना बन रही है. पेश है इस लम्बे संघर्ष पर ***जेरोम जेराल्ड कुजूर की रिपोर्ट:***

22–23 मार्च 2014 विस्थापन के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का 21वाँ वर्ष

सेना की गाड़ी के आगे महिलाएं पेड़ की तरह खड़ी थी। फौजी भाईयो वापस जाओ के नारे से नेतरहाट का पठार गूंज रहा था। महिलाएं आगे बढ़ रही थी सेना की गाड़ी पीछे लौट रही थी। आखिरकार सेना को वापस होना पड़ा। 22–23 मार्च 2014 को नेतरहाट के जोकीपोखर (टुटुवापानी) में केन्द्रीय जन संघर्ष के 21 वें जन सत्याग्रह में आपका स्वागत है। आईए सभी साथ मिलकर आंदोलन की मजबूती के लिए आगे बढ़ें।

'जान देंगे जमीन नहीं के नारे के साथ पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से होने वाले 245 गांव के विस्थापन के खिलाफ चला आंदोलन 22–23 मार्च 2014 को सत्याग्रह दिवस मनाते हुए अपने आंदोलन का 21वाँ वर्ष पूरा करेगा। जतरा टाना भगत के दिखाए रास्ते पर अमल करते हुए झारखंड में झारखंडी प्रतिरोध की संस्कृति में आगे बढ़ते जन सत्याग्रह के माध्यम से झारखंड ही नहीं, देश एवं वैश्विक स्तर पर विस्थापन विरोधी आंदोलनों को नई दिशा देने का काम इस आंदोलन ने किया है। आज की तारीख में यह आंदोलन सफल आंदोलनों की श्रेणी में शामिल है। परन्तु आंदोलनकारी आज भी संघर्षरत हैं और अपनी लड़ाई के लिए कमर कस कर किसी भी कीमत पर पायलट प्रोजेक्ट को नहीं बनने देना चाहते हैं और न ही उस क्षेत्र में होने वाले चांदमारी एवं गोलाबारी अभ्यास को भी नहीं होने देना चाहते। स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि संभावित विस्थापित क्षेत्र के लोग अब किसी भी कीमत पर सेना की चहलकदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसके पीछे इनका तर्क साफ है कि 1956 से 1993 तक 30 वर्षों में सेना द्वारा गोलाबारी अभ्यास के दौरान सेना के जवानों द्वारा अमानवीय, शर्मनाक एवं दर्दनाक व्यवहार जिसका सर्वेक्षण केंद्रीय जन संघर्ष समिति जिसने पूरे आदोलन का नेतृत्व किया, करा लिया था जो चौंकाने वाले हैं।

सैनिकों द्वारा सामूहिक बलात्कार से मृत महिलाओं की संख्या–	2
सैनिकों द्वारा महिलाओं का बलात्कार –	28
सैनिकों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार का प्रयास –	57
गोला विस्फोट में मृत लोगों की संख्या –	30
गोला विस्फोट से अपंग लोगों की संख्या –	3
गोला विस्फोट से मरे मवेशियों की संख्या –	24
गोला विस्फोट से नष्ट मकानों की संख्या –	7
विस्फोट से नष्ट पूजा स्थल (सरना) –	1
सैनिकों द्वारा अभ्यास की अवधि में चोरी –	26
फसलों की क्षति की शिकायत –	225
पेड़–पौधों की क्षति –	अनगिनत

जनसंघर्ष समिति का दावा है कि लोक लाज के कारण महिलाओं से बलात्कार के कई केस जो और भी चौंकाने वाले हो सकते थे सामने नहीं आ पाये।

आपको ज्ञात होगा कि 1956 से ही भारतीय सेना द्वारा नेतरहाट के पठार में गोलाबारी का अभ्यास चला आ रहा है। इस गोला बारी अभ्यास में नेतरहाट पठार के नेतरहाट, चोरमुण्डा डुम्बरपाठ,अराहंस नैना नोवाटोली हरमुण्डा टोली, हुसमू और पकरीपाठ के क्षेत्रों में तोप एवं गोला बारी अभ्यास करती आ रही है।1981–82 में सेना ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उपर्युक्त क्षेत्रों को हथियाने की कोशिश की थी। स्थानीय जनता ,राजनीतिक नेताओं एवं प्रशासकों के विरोध के कारण भूमि अधिग्रहण को तत्काल स्थगित कर दिया गया।

1992 में महुआडांड़ प्रखंड के 29 गाँवों को हड़पने के लिए तत्कालीन बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा अधिसूचना पत्र 14–09–1992 को प्रकाशित किया जिसका क्रम संख्या 1466 है। इस पत्र में पलामू जिले के रेवेन्यू विभाग से यह अनुरोध किया गया था कि वो निम्नलिखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट भेजे– (1) सरकारी भूमि का विस्तृत विवरण ,(2)निजी

भूमि का ब्यौरा (3)उन क्षेत्रों की जनसंख्या की जानकारी।

इस दौरान 1992 के सितम्बर महीने के आस पास सेना ने नेतरहाट में प्रवेश किया और महुआडांड़, साले और बांसकरचा में भी कदम रखा इसने सम्पूर्ण छेछारी (महुआडांड़ प्रखंड व गारू प्रखंड का दक्षिण इलाका) का हवाई तथा जमीनी सर्वे किया । इसके बाद भी वहाँ के सीधे साधे जनता को किसी तरह से सेना के इस वीभत्स खेल का थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ। इस सर्वे के बाद सेना ने इस भूमि अधिग्रहण के मामले पर गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान सेना ,गृह मंत्रालय एवं पलामू के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच पत्राचार होने लगा। पत्राचार का यह कार्य इतने गोपनीय तरीके से होने लगा कि इसकी भनक तक प्रभावित जनता को नहीं थी। इस समय तत्कालीन कर्नल एस.एन. ओझा के दिनांक 5–7–1993 द्वारा लातेहार एस.डी. ओ. को आदेश दिया जिसकी एक–एक प्रति महुआडांड़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी को महुआडांड़ की सूची में दिए गए आंकड़े को सत्य प्रमाणित कर दो दिनों के अंदर लातेहार के डी.सी.एल आर के पास अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।

सयोंगवश इसी सूची को गलती से महुआडांड़ के अंचल पदाधिकारी ने अंचल कार्यालय के नोटिस बोर्ड में लगा दिया । जिसे यहाँ की जनता ने देख लिया । फिर विस्थापन के खतरे की दस्तक आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। फिर अफवाह फैली कि 26 जुलाई 1992 को प्रखंड कार्यालय में सेना के अधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं आम जनता के बीच बैठक होगी वहीं इस बात को तय किया जायेगा कि यहाँ सैनिक छावनी बनेगी या नहीं। 26 तारीख को इस क्षेत्र के छात्र जो राँची में विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत व पलामू छात्र संघ के नाम पर संगठित थे । विस्थापन की भयावह स्थिति को भांपते हुए महुआडांड़ पहुँच गए। यहाँ की स्थिति और भी भयावह थी। जिधर नजर घुमाईए जन सैलाब चीटियों की तरह रेंगते हुए विभिन्न दिशाओं से प्रखंड मुख्यालय की ओर आगे बढ़ रहा था। सबकी आँखों में विस्थापन का डर एवं सरकार के प्रति आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। यदि मैं सच कहूँ तो शायद ये अतिश्योक्ति नहीं होगी कि इस दिन सही मायने में सेना के आधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की खैर नहीं थी। अप्रिय घटना की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता था।

पलामू छात्र संघ का दल उक्त बैठक की जानकारी लेने सीधे अंचल कार्यालय जा धमका। काफी जद्दोजहद एवं छात्र शक्ति के आगे घुटने टेकते हुए आखिरकार अंचल पदाधिकारी ने उक्त पत्र छात्रों को दे दी। सबूत अब जनता के हाथ में था। सेना के अधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं आम जनता के बीच बैठक की बात सच हो या न हो इस बैठक के नाम पर आए जन सैलाब के साथ बैठक करते हुए महुआडांड़ के रामपुर बगीचे से पलामू छात्र संघ ने विस्थापन के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया। बड़े बुर्जगों का कहना है कि इसी दिन से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेज के खिलाफ आंदोलन की शुरूआत हुई। तब से विस्थापन के खिलाफ चला आंदोलन अब भी जारी है।

इसी बीच बिहार सरकार द्वारा तोपाभ्यास अधिसूचित क्षेत्र के निर्धारण के लिए जारी गजट अधिसूचना पत्र एस.ओ. 761 और 762 दिनांक 25.11.1991 एवं एस.ओ. 84 दिनांक 28.03.1992 आम जनता के हाथ लगी। इन अधिसूचना में तोपाभ्यास के लिए जिन गाँवों को अधिसूचित किया गया वह इस प्रकार है।

प्रखंड	जिला	गाँव की संख्या	अधिसूचना वर्ष–1991	अधिसूचना वर्ष–1992
महुआडांड	पलामू	52	23	29
विषुनपुर	गुमला	70	38	32
चौनपुर	गुमला	46	24	22
डुमर	गुमला	30	00	30
घाघरा	गुमला	42	04	40
गुमला	गुमला	5	00	05
कुल		245	89	158

दिनांक 10.12.1993 को 23 वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के ब्रिगेडियर श्री आई जे कुमार के संवाददाता सम्मेलन के हवाले से समाचार पत्रों में जिनमें– हिन्दुस्तान टाइम्स, इण्डियन एक्सप्रेस, आज, प्रभात खबर, राँची एक्सप्रेस आदि ने रिपोर्ट प्रकाशित किया । जिसके अनुसार भारत सरकार ने 1986 में देश के 30 फायरिंग रेंजों को परिवर्तित कर पायलट प्रोजेक्ट के तहत अधिसूचित कर क्षेत्र को आबादी विहीन करने का निर्णय लिया था। इस सूची में बिहार के गया जिले के देवरी डुमरी प्रखंड का फायरिंग रेंज था। बिहार सरकार ने 1992 में गया जिले के देवरी डुमरी प्रखंड स्थित फायरिंग रेज की जगह पर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेज को पायलट प्रोजेक्ट में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। जिसके संदर्भ में ब्रिगेडियर आई. जे. कुमार ने बताया कि उक्त क्षेत्र में घरों की संख्या एवं ऐतिहासिक स्मारकों के

मद्देनजर देवरी डुमरी से भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को रद्द करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात,नेतरहाट के निकट एक विशाल भूखंड का चुनाव उस मकसद के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया। ब्रिगेडियर आगे कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ कम आबादी वाले क्षेत्र में केवल 188 वर्ग किलो मीटर भूमि की मांग की थी। लेकिन बिहार सरकार ने हमें इतना बड़ा भूखंड बतला दिया जो हमारे प्रस्ताव से छः गुना बड़ा है। मुख्य तोपाभ्यास क्षेत्र के अलावा 23 वीं इन्फन्ट्री डिविजन ने दो अन्य कैम्पिंग साईट के प्रस्ताव रखे हैं। उनमें से प्रत्येक का आकार 9 वर्ग कि.मी. है। जिनमे से पहला नेतरहाट के निकट एवं दूसरा आदर नामक स्थान पर होगा।

ब्रिगेडियर आई. जे कुमार के संवाददाता सम्मेलन के बाद यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि इस क्षेत्र में स्थाई रूप से फायरिंग रेंज बनाने की योजना थी। जिसे तत्कालीन भारत सरकार ,बिहार सरकार एवं झारखंड अलग राज्य के गठन के बाद झारखंड सरकार नकारती रही है। अब तो असलियत सामने थी। बिना समय गंवाये यहाँ के लोगों ने एकत्र होकर केन्द्रीय जन संघर्ष समिति के बैनर तले उलगुलान की घोषणा कर दी। जनता का विरोध लगातार बढता जा रहा था । 27. 10 .1993 को महुआडांड़ प्रखंड में 10 हजार से भी ज्यादा लोगों ने बैठक के बाद राष्ट्रपति के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्मार पत्र सौंपा।इस दौरान पलामू व गुमला में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ जुलूस कर अपना विरोध प्रदर्शन किया । इसी बीच विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा सैनिक छावनी के पक्ष में बयान आये जिसमें भा.ज.पा. के श्री श्याम नारायण दूबे ने राष्ट्रहित के नाम पर इस परियोजना का समर्थन किया तो तमाम दस्तावेज के बावजूद कांग्रेस के पूर्व सांसद शिव प्रसाद साहू ने इस परियोजना को झुठलाने का प्रयास किया । इस दौरान पलामू छात्र संघ, हीरा बरवे छात्र संघ एवं बनारी विषुनपुर छात्र संगठनों ने दस्तावेज लेकर गांव की ओर कूच कर वहाँ प्रोजेक्ट की सही जानकारी लोगों को दी वहीं संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी संगठन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस बीच पटना में प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थी एकजुट होकर आंदोलन को सहयोग दिया और दिल्ली में रहने वाले यहाँ के मूल से जुड़े आदिवासी युवा संघ ने दिल्ली में आंदोलन के समर्थन में मोर्चा जारी रखा।

इधर जनता के विरोध एवं पलामू , गुमला के उपायुक्तों को लगातार स्मार पत्र देने के बावजूद तत्कालीन बिहार सरकार के समय सेना के द्वारा 23 मार्च से 27 मार्च 1994 को उक्त क्षेत्र में गोलाबारी अभ्यास के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस ने आग में घी डालने का काम किया आम जनता का आक्रोश और ही तेज हो गया । इस समय में केंद्रीय जन संघर्ष समिति ने संयम से कार्य करते हुए सत्याग्रह के माध्यम से सेना द्वारा किये जाने वाले गोलाभ्यास को रोकने का निर्णय लिया। तय हुआ कि जोकीपोखर (टुटुवापानी) के पास सत्याग्रह कर सेना को आगे जाने से रोका जाए। जिसका प्रभावित क्षेत्र की जनता ने पूर्ण रूप से सहयोग किया । सत्याग्रह स्थल में करीब एक लाख की भीड़ सेना को गोलाबारी अभ्यास करने से रोकने के लिए जमा हुई। आखिरकार इस भीड़ जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं व युवा शामिल थे 23 मार्च 1994 को सेना की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। जिसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। सेना वापस लौट गई संघर्ष आगे बढ़ता गया। तभी से हर साल 22 एवं 23 मार्च को केन्द्रीय जन संघर्ष समिति ने सत्याग्रह के माध्यम से संघर्ष को जारी रखा है।

समय समय पर सेना द्वारा गोलाबारी अभ्यास के लिए नोटिस आता रहा और जनता हर नोटिस के खिलाफ में जोकीपोखर (टुटुवापानी) के पास सत्याग्रह कर सेना को गोलाबारी अभ्यास से रोकने के लिए जमा होती रही। हर बार सेना को जनता के विरोध के कारण अपना अभ्यास रोकने पर मजबूर होना पड़ा । इसके बाद भी बिहार सरकार के द्वारा जारी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना संख्या 1005 दिनांक 2.11.1999 को अधिसूचित क्षेत्र की समय सीमा को बढ़ा कर 2022 तक कर दी गई। केन्द्रीय जन संघर्ष समिति ने झारखंड सरकार से सिर्फ इतनी ही मांग की है कि पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज एवं बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1005 दिनांक 2.11. 1999 को रद्द करे ।

आज भी इस क्षेत्र में सेना गिद्ध सी नजर जमाये देख रही है। जिसका खुलासा 4 फरवरी 2014 को स्थानीय दैनिक भास्कर में 'नक्सलियों के गढ़ में खुलेगा सेना का ट्रेनिंग सेंटर' शीर्षक से छपे समाचार द्वारा ज्ञात हुआ है जिसमें नक्सलियों के बहाने सेना के लिए इस क्षेत्र में स्थान देने की तैयारी की जा रही है। परन्तु जनता अब किसी कीमत पर न तो पायलट प्रोजेक्ट बनने देना चाहती है और न ही सेना के लिए गोलाबारी अभ्यास के लिए स्थान ही। जान देंगे जमीन नहीं का नारा आज भी इस क्षेत्र की जनता के बीच ताकत भरते हुए संघर्ष की राह को आगे बढ़ाता रहता है।

जेरोम जेराल्ड कुजूर : पलामू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं नेतरहाट आंदोलन के सिपाही हैं।

झारखंड में विरोध के बावजूद जिंदल के स्टील प्लांट को हरी झंडी, आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज

मार्च 8, 2014। मैं पिछले शनिवार जमशेदपुर के पास असनबोनी में था और लूट का मकेनिज्म देख रहा था। मैंने अन्य लोगों को अपनी फिल्म के द्वारा इंटरनेट पर इस मकेनिज्म को दिखाने का प्रयास किया है। मैंने कई खूबसूरत इलाकों में समय गुजारा, इस उम्मीद में कि वे इस रास्ते सें रूकेंगे लेकिन रेडिमिक्स विकास भविष्य का ढांचा बदल रहा है।

झारखंड राज्य की स्थापना साल 2000 में हुई और विकास के उन्माद से यह राज्य ग्रस्त हो गया। राज्य की सरकारों ने एक के बाद एक विकास की 108 बड़ी योजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें स्टील प्लांट, खनन, सीमेंट एवं विद्युत आदि शामिल हैं। मैं असनबोली में एक जनसुनवाई में शामिल हुआ जिसका आयोजन झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया था ताकि जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड को एक वर्ष में 6 मिलियन टन स्टील प्लांट के लिए हरी झंडी दी जा सके। इस प्लांट का नाम जानबूझकर ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट रखा गया।

मैं कुमार चंद मार्डी के साथ था, यह नाम कोलहन के एक आंदोलनकारी और राजनेता के तौर पर इस्तेमाल होता है और यह संदर्भ देने के लिए इस्तेमाल होता है कि दक्षिण झारखंड में अब क्या है। उनके जमशेदपुर स्थित आवास पर आप भगत सिंह, गांधी और जयप्रकाश नारायण की तस्वीरें सिद्धू और कान्हु मुरमु की तस्वीरों के साथ देख सकते हैं जो कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोही थे। जहां एक ओर पूरे समुदाय के लिए लोगों ने हथियार उठा लिए थे वहीं मार्डी दा कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। वह और उनकी पत्नी सालगी संथाली भूमि समस्या पर पुनर्वास और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर 80 के शुरुआती दशक से काम करते रहे हैं। मार्डी दा के लिए कुछ शब्दों में कहा जाए तो मनोरम वायु और दयालु विनोदी। वह इस अच्छी लड़ाई के अनुभवी सैनिक हैं।

जमशेदपुर में हर ओर उद्योग है। जिस साइबर कैफे में बैठकर मैं यह टाइप कर रहा हूं उसमें कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जमशेदजी टाटा की तस्वीर सम्मान के तौर पर लगी है जिसके नीचे लिखा है ' हमारे संस्थापक' जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें करीब 18 गांव आते हैं जिनमें सकची,कालीमाटी,गोलमूर्ति और सोनारी भी शामिल हैं जो सभी भारत के सौ साल पुराने स्टील टाउन के पड़ोसी बने। लेकिन ये सभी लंबे समय तक यह इस क्षेत्र के लिए लाभदायक रहे। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने रेलवे के लिए वनों की कटाई का काम किया। संथालों ने इसका विरोध किया और दोबारा विरोध किया जब अंग्रेजों और बाद में भारत सरकार ने वनों और भूमि से वन समुदाय को अलग करके देखने का काम किया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, 1908,संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, 1949 और संविधान की पांचवी और छठी अनुसूचि में इस मामले को जन्म दिया।

उस शनिवार हमने जमशेदपुर की उपनगरीय, उपग्राम्य हौजपॉज नगरीयता से छुटकारा पाकर बाद में तुरमादीह के बरबाद पर्वतों को पार करके यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्वाटर्स को पार किया तो मेरे शरीर में झुनझनी पैदा होने लगी जैसे मै रेडिएशन को महसूस कर रहा था और इस इलाके में रेडिएशन की अधिकता साफ महसूस हो रही थी।

इसके कुछ किलोमीटर बाद सड़क कुछ दूरी पर थी और हम अल्पविकसित भारत में आ गए थे। पूरी तरह से साफ सुथरी गलियां और संथालों के घर– मिट्टी से बने हुए, क्रमबद्ध, साफ और ताजगी भरे और सुंदर। यह क्या है पांच हजार साल बीत चुके हैं। सुंदर किनारों वाली खिड़किया जिसपर सजावट हुई थी। इस सब में पशुओं के चारे और फूंस का इस्तेमाल किया गया था।

जैसे ही हम आसनबोली की तरफ चले सभी सड़कें अति व्यस्त मिली। हमने एक मुश्किलभरा सफर किया और अचानक अपने आपने आपको हमने विकास की दौड़ में शामिल व्यवस्था का हिस्सा पाया। कंपनी सरकार यहां मौजूद थी धूल उड़ाती हुई उन लोगों पर जो सड़क के किनारे–किनारे पैदल चल रहे थे या साईकल चला रहे थे। जैसे घर घने हो रहे थे एक मैटल डिटेक्टर और एक बंदूकधारी पुलिसवाला दिखाई दिया। लोग अपने हाथों में अपने मतदाता पहचान पत्र लिए हुए थे और सड़क के बीच में एक लाइन बनाकर खड़े थे ताकि तलाशी के बाद आगे जा सकें। हम एक वाहन में थे और इसी इसी लहर में शामिल थे लोग अपनी तलाशी दे रहे थे इनमें वे लोग थे जो अपनी जमीन गंवा चुके थे और जो उन्हें वापस नहीं मिलेगी।

इसी तरह के पैमाने पर सभी भूमि अधिग्रहण किए जाते हैं यह केवल असनबोली की बात नहीं है इसके अलावा इससे लगे 12 गांव और हैं जिनपर कंपनी सरकार की नजर है। चोतरो, तिलामुडा, घोतीदुबा, दिगरसई, कनीकोला, कुदापाल, लोखंडी, बर्धा, बिरगांव, लालमोहनपुर, आजादबस्ती, गोपालपुर, आसनबोनी अपने आपमें कस्बा है इसके रास्ते में पड़ने वाले गांव अधिक जनसंख्यावाले होने के कारण एक टाउन का रूप

ले चुके हैं जहां अधिक दुकाने हैं अधिक लोग हैं और जो कोई भूमि रखते हैं वे इसे बेचने के इच्छुक हैं। इनमें से अधिकतर लोग कंपनी सरकार के दलाल बने हुए हैं। यह केवल अदालत में एक छोटी सी कागजी लड़ाई बनकर रह गई है और साल 2004 से ही पुलिस केस चल रहे हैं जिसे दस साल का समय बीत चुका है।

पहली जनसुनवाई में करीब 350 लोगों ने भाग लिया और जो समान संस्था द्वारा जनवरी में आयोजित की गई थी। विरोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक इस जनसुनवाई को रुकवा दिया था और एडीसी को इस जनसुनवाई को दोबारा आयोजित करना पड़ा। इस जनसुनवाई का आयोजन एक खुले स्थान पर किया गया और विरोधकर्ता जो वास्तव में दूर थे और समर्थक वहां मौजूद थे।

इस बार पूरी तरह से जनसुनवाई को मैनेज कर लिया गया। यह स्थिति सालों की कोशिश के बाद आई। गांव के बीचो बीच एक पंचायत भवन में जिस तक पहुंचने के लिए एक संकरा रास्ता जाता था और स्टेज पर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता बनाया गया था जो कंपनी सरकार के लिए आरक्षित रखा गया था। पुलिस बल हथियारों के साथ मुस्तैद था और भवन के अंदर समर्थकों की भीड़ थी।

गैर संथाली महिलाएं जो चमकदार नई साड़ियों में मौजूद थीं उन्हें जिन्दल की सीएसआर विंग द्वारा साड़ियां पहले ही दी जा चुकी थीं अपने नए कपड़ों का आनंद लेती हुई दिखाई दे रहीं थीं। मानों कंपनी सरकार के समर्थन में एक सत्संग हो रहा हो। भावहीन, पाउडर ब्लू शर्ट पहने अधिकारी मंच पर थे जो स्थानीय समर्थकों का सामना कर रहे थे जो चारों तरफ बिखरे हुए थे चमकदार साड़ियों में और उनके पीछे एक बैरिकेड्स की तरह पीछे मौजूद थे। साड़ी वाली महिलाओं के पीछे और समर्थक दीवार बनाए खड़े थे। और उसके बाद पुलिसवाले खड़े थे। इन सबके पीछे कुछ लोग विरोध में बैनर और लिए नारेबाजी कर रहे थे लेकिन ये लोग मंच के निकट भी नहीं पहुंच सकते थे। इनके लिए पहले से ही सभी रास्ते बंद करके रखे गए थे।

जैसे ही हम वहां पहुंचे और सामने की तरफ से प्रवेश किया मार्डी दा को स्थानीय कंपनी समर्थकों ने रोक लिया और चिल्लाने लगे '' ये लोकल नहीं हैं, ये नेता हैं। हट साले नेता'' तभी मंच से एक स्कूल टीचर बनमाली महतो जो गोटीदुबा से थे विरोध की अगुवाई करते हुए माइक हाथ में लेकर बोलने लगे कि ''हम लोकल हैं आप हमें बोलने दीजिए ''इस पर कंपनी के समर्थकों ने विरोध किया और चिल्लाने लगे। कंपनी समर्थकों ने मार्डी दा को और उनके साथियों को मंच से नीचे उतार दिया और उन्हें धकेल कर सड़क पर फेक दिया और उनकी पिटाई की यह सब सभा के सामने हुआ। पिछले दो सालों में मार्डी दा को जितना मैं जानता हूं उन्होंने पहली बार अपना धैर्य खोया। विडंबना देखिए कि कोई दलाल नाराज नहीं हुआ या उत्तेजित नहीं हुआ।

उसी समय धक्का मुक्की में सभा भवन का पीछे का हिस्सा टूट गया। इसके बाद कंपनी सरकार ने तुरंत प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करवा दिया। इसमें कंपनी के स्थानीय समर्थक और भाड़े के गुंडे भी शामिल थे उन्होंने बांस उखाड़ लिए और पत्थरों से हमला किया। वे प्रदर्शनकारियों को गालियां दे रहे थे और चोट पहुंचा रहे थे इनमें महिलाएं भी उनका साथ दे रही थीं इस घटना में कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए 22 साल के प्रवीन महतो को इतनी चोट लगी कि उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा जिनके सर पर पांच टांके लगाने पड़े। एक बूढ़े आदमी को सर पर चोट के कारण बुरी तरह खून बहा। सभा की समाप्ति के बाद हम वहां से लौट आए और प्रदर्शनकारियों की खबरगीरी में लग गए। यह तय हुआ कि हम गांव और पुलिस से दूर एक मैदान में जमा होंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति इस बात पर जोर दे रहे थे कि हम सबको घर जाकर अपने हथियार और लाठी डंडे लेकर आना चाहिए और पुलिस पर हमला बोल देना चाहिए। लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कदम कदम पर कहानी में बदलाव आता रहा और जो लोग तितर बितर हो गए थे फिर से एकजुट होने लगे और मैदान में ''जिंदल मुर्दाबाद'' के नारे गूंज उठे। हर कोई आगे के बारे में सोच रहा था यह बात सभी की समझ में आ चुकी थी कि जनसुनवाई की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी अब यह साफ हो चुका था कि लड़ाई पहले से भी मुश्किल हो गई है। स्थानीय समाचार चैनल भी प्रदर्शनकारियों से सवाल पूछने पहुंच गया और अधिक से अधिक लोग जमा होते गए।

इसके बाद हम घायलों को लेकर जादूगोड़ा पुलिस स्टेशन गए और एफआईआर दर्ज कराई। रास्ते में प्रवीन महतो की कई बार पट्टियां बदलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जिसने मेरा सर फोड़ा है मैं उसके कजिन्स को 7वीं से लेकर 10वीं तक ट्यूशन पढ़ाता आ रहा हूं। किसी ने महतो से पूछा कि उसने तुम्हे चोट क्यों पहुचाई है तो इस बात पर सभी हंस पड़े। दुर्भाग्य से हम यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एम्बुलेंस में थे जो सोवियत संघ की 70 के दशक की वैन प्रतीत हो रही थी।

जादूगोड़ा की पुलिस आशा के अनुसार ही थी। उनके केस बिना किसी रुकावट के दर्ज कर लिए गए थे जबकि एक केस दर्ज करवाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी। तहरीर लिखी गई और दोबारा लिखी गई, अस्पताल की रिपोर्ट जोड़ी गई और फिर हटा दी गई।

आसनबोनी में बाद में एक घंटे में जनसुनवाई समाप्त कर दी गई। पुलिस की गाड़ी वापस जादूगोड़ा पुलिस थाने लौट आई। थके मांदे पुलिसवाले प्रदर्शनकारियों के साथ खुले लान में ताजा दम होने लगे। उस शाम को जब हम वापस हो रहे थे तो हम अनेक संथाल महिलाओं के जत्थों के बीच से गुजरे जो

संगीत पर नृत्य कर रहीं थीं। गांववाले बाहा पूजा का उत्सव मना रहे थे। हमारे सभी वनवासी समूदायों में यह वसंत उत्सव का अवसर होता है। कोल्हान में जब साल के पेड़ पर पहली कलियां आती हैं तब यह उत्सव मनाया जाता है।

अगले दिन सुबह मार्डी दा ने गहराई से समाचार पत्र पढ़ा। हेडलाइन चौकाने वाली थी–'' जिन्दल को हरा सिगनल'', ''22000 करोड़ स्टील प्रोजेक्ट की बाधा समाप्त'' और बहुत कुछ। केवल प्रभात खबर ने सही खबर छापने की कोशिश की फिर भी इसके मुख्य पृष्ठ पर हरी झंडी मिलने की घोषणा थी। समाचार एबले ने खबर छापी कि सवाल उठाए गए और उनका जवाब दिया गया। जमशेदपुर टेलीग्राफ ने खबर छापी कि लेबोरेटरी बेस्ड साइंस। जबकि यह सारा मामला चुनावी है और तिलेस्वर साहू की हत्या।

हम एक लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। और हमारे मुख्य सरोकार क्या हैं जबकि चुनाव आने वाला है। देश में 4 मार्च की शाम से ही चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। सरकार नई योजनाएं लागू नहीं कर सकती है लेकिन कंपनी सरकार चल रही है। जनसुनवाई 8 मार्च को आयोजित हुई जबकि 7 मार्च को मार्डी दा और उनके साथियों ने लिखित में डिप्टी कलेक्टर को सूचित किया था कि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। वर्तमान विधायक रामदास सोरेन ने भी इस बाबत झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी को सूचित किया था कि यह जनसुनवाई आचार संहिता का उल्लंघन है। इस संबंध में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपथ को नई दिल्ली एक मेल भी किया गया था। इसलिए अब भी यह आशा बनी हुई है कि इस जन सुनवाई को शायद रद्द कर दिया जाए।

जेएसपीएल के प्रवक्ता का कहना है कि योजना को 40–60 महीनों में कार्यरूप में लाया जाएगा। गणित साफ है हरी झंडी मिलने के बाद भी कंपनी सरकार भूमि अधिग्रहण से दूर है। कंपनी ने केवल 285 एकड़ भूमि की मांग की है। यह अफवाह भी फैलाई जा रही है कि कंपनी ने कुछ हिस्से पर कब्जा हासिल कर लिया है। यह मामला बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण का है जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार अधिकतर लोगों की भूमि बिक चुकी है। बिना उनके हस्ताक्षर के और तब हर्जाना स्वीकारने के लिए उत्साहित किया जाएगा। कंपनी सरकार को चाहिए 1417 एकड़–1132 एकड़। जैसा कि भूमि शैड्यूल है कंपनी जल्द भूमि को कब्जे में लेने का काम शुरू करेगी। जनसुनवाई के दिन बनमाली महतो ने करीब 1200 लोगों के विरोध का एक विरोधपत्र तैयार किया है जिसमें जिंदल का विरोध करने वाले लोगों के मतदाता पहचान पत्र भी शामिल हैं।

संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में किए गए प्रावधान की विकास के नाम पर अनदेखी पिछले 20 सालों से हो रही है और कंपनी सरकार को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वीरप्पा मोइली का पेन आज भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और हर नियमगीरी के लिए सैकड़ों नंदीग्राम–अनेक अचानक मौतें लेकिन इसके बाद भी हर ग्रे योजना को लागू करने की प्रतिबद्धता।

इस समय चुनाव करीब हैं। और कोई भी राजनीतिक दल इस पृथ्वी के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिस पर हम सभी निवास करते हैं। यह हम लोगों का दायित्व है जो इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और संभावित बेहतर तरीके के हिमायती हैं।

कुरुष कैंटीनवाला एक फिल्मकार हैं। उनकी हाल ही की फिल्म है कौनकांची मेगा वाट।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

संघर्ष संवाद

ए–124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016

फोन/फैक्स: 011–26968121/26858940

वेबसाइट:www.sangharshsamvad.org